मंजरी

स्त्री के मन की

अंक–14

वर्ष 2018

तख्ती पर तकदीर

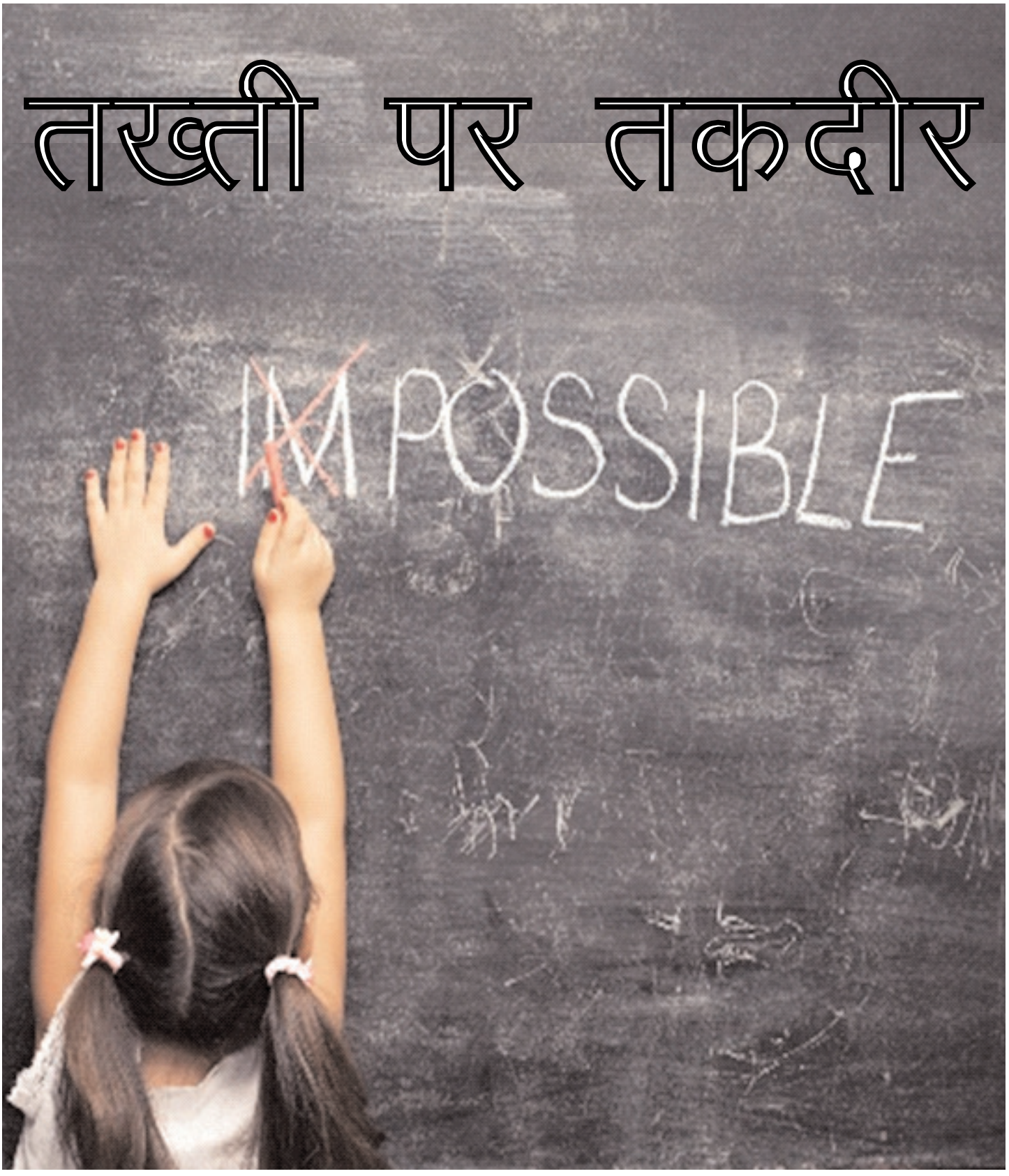

Sulabh Sanitation Movement

Sulabh International
Social Service Organisation

सुधा
मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्टस
वादा शुद्धता का
लाखों परिवारों के पोषण एवं जीविकोपार्जन का आधार
आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान की स्वस्थ पहचान श्वेत क्रांति की मिसाल एवं बिहार का गौरव
COMFED
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
ई-मेल: comfed.patna@gmail.com | टोल फ्री नं. 18003456199 | www.sudha.coop

takshila
connect
to the
universe

संकल्पना

इक्विटी फाउंडेशन लंबे अरसे से एक वेब पत्रिका शुरू करने के बारे में सोच रहा था। मकसद था महिला और समाज के मुद्दों को शिद्दत से उठाना। जब हमने चीजों को एक साथ कर उसे पत्रिका के रूप में सजाने के बारे में सोचना शुरू किया तो इस क्रम में कई लोगों से जुड़े। हमने महिलाओं को पत्रिका से जोड़ने की कोशिश की। हम दोस्तों से मिले और परिचितों से बात की। महिलाओं के सामाजिक समूहों और शिक्षाविदों के एक साथ जुड़ने के बाद जो स्वरूप सामने आया वह है 'मंजरी'।

मंजरी यानी कोंपल। शाखों में फूटने वाली नन्ही पत्तियां। नई शाखों का सृजन करने वाले इन कोंपल को कुम्हलाने से बचाना जरूरी है नहीं तो पूरे पेड़ का विस्तार कुंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह स्त्री के मन की मंजरी को सहेजने की जरूरत है वरना पेड़रूपी समाज विकृति का शिकार हो जाएगा। हमारा प्रयास इसी मंजरी को पुष्पित पल्लिवत करने का है जो औरत की सोच और उसकी कोशिश को सही दिशा प्रदान कर सके।

मंजरी के सृजन के दौरान पहले तो 10–30 लोगों का एक ढीला–ढाला समूह बना। विचार आते गए। अलग–अलग विषयों और मुद्दों पर। समूह में कुछ अनमनी महिलाएं थीं तो कुछ सहानुभूति दिखाने वाले पुरुष भी। कुछ महज एक या दो बैठकों में शामिल हुए तो कुछ जब मन में आया, आ गए। बाकी बचे लोगों ने 'मंजरी' को मुकाम पर ले जाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया। 'मंजरी' का लक्ष्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां बुद्धिजीवियों को उनकी खुराक मिले तो शोधकर्ताओं की जिज्ञासा शांत हो। क्रियान्वयन के लिए बहस और तर्क के रास्ते हमेशा खुले रहें। इक्विटी की लगातार कोशिश रही है शोध और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटना। ऐसे में हमारा मानना है कि शोध तब तक अप्रासंगिक हैं जब तक कि इनका लोगों की जिंदगी और उनके क्रियाकलापों से जुड़ाव न हो। ठीक इसी तरह सिविल सोसायटी के तौर पर अगर हम जमीनी सच्चाई से वाकिफ न रहें, जिनमें सामाजिक प्रक्रियाएं और ऐतिहासिक मूल्यों का समावेश है और जो समाज में रहने वाले लोगों के मूल्यों और उनके चरित्र को आकार देते हैं, तो किसी भी कोशिश का कोई मतलब नहीं रहता है।

'मंजरी' एक उद्यम है, क्रियाशीलता को शोध आधारित रचना और आलोचना के नजरिये से देखने का जो महिला अधिकारों के साथ–साथ जीवन के हर पलू को इंगित करे। नियमित गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक तंत्रों से इतर 'मंजरी' राजनीति और आदर्शवादिता को लांघ कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को सांस्कृतिक संवे. दनशीलता के आधार पर मापती है। 'मंजरी' उन तमाम कार्यकर्ताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, प्रोफेशनल, गृहणियों और नीति निर्धारकों द्वारा पढ़ी जाएगी जो किसी समस्या के लिए समाधान आधारित नवीन दृष्टि और पृथक सोच रखते हैं। यह पत्रिका अपने पाठकों को जेंडर आधारित मुद्दों को जैविक और सामाजिक आधार पर परखने की छूट देती है। व्यक्ति और समाज की विचारधारा में जेंडर को लेकर क्या बदलाव आये और उनका क्या असर हुआ, इसकी पूरी पड़ताल करने की आजादी लोगों को होगी। यह पत्रिका एक कोशिश है पड़ताल की प्रवृत्ति को जगाने की ताकि लोग तेजी से बदलते और विविधताओं से भरे समाज में परूी क्षमता से काम करने को तैयार हो सकें जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव भी एक अहम मुद्दा होगा। महिला समानता और अधिकारों पर 'मंजरी' के दखल से उन बेशुमार कार्यकर्ताओं, संगठनों और विद्वजनों को फायदा होगा जो दहेज, यौन प्रताड़ना, महिला अधिकारों, महिला आरक्षण, आर्थिक सुधार और अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में रुचि रखते हैं।

पत्रिका का मकसद

इक्विटी फांडेशन खुद को सुविधाविहीन महिलाओं को उनकी पूर्ण क्षमता से अवगत कराने और समाज में उनके क्रियाशील प्रभुत्व को स्थापित कराने की दिशा में वाहक के तौर पर देखता है। देश के विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की राष्ट्रीय नीति तभी सफल हो पाएगी जब महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को कमतर आंकने वाले संस्थान और विचारों को हतोत्साति किया जाये या उनका पूरी तरह सफाया किया जाय। 'मंजरी' की परिकल्पना समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के जीवन और उनके स्तर को प्रभावित करने वाले विचारों के निर्माण, विकास और उनके प्रसार के लिए की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में समानता संबंधी मुद्दों को इस प्रकार समग्र रूप में देखने की जरूरत है जो असमानता की अंतरवर्गीय विशेषताओं को जाहिर कर सके। समानता पर आधारित 'मंजरी' के ज्यादातर आलेख भिन्न–भिन्न समूहों को निशाने पर रखते हैं जो कुछ हद तक बेद जरूरी भी है। इसलिए यह पत्रिका कुछ समूहों के कुछ विशेषाधिकारों के पूर्ण निष्कासन और अंतरवर्गीय दृष्टिकोणों के स्थापन के बीच नियंत्रक की भूमिका में होगी जो नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान असमानता को उसके तमाम स्वरूपों के साथ सामने रखने में कारगर होगी। ऐसे में इसका मकसद लैंगिक भेदभाव के निर्मूलन की ओर वह विवेचनात्मक चर्चा छेड़ने का है जो वर्तमान परिदृश्य में शोधों का एजेंडा तय कर सके और एक बेहतर वैकल्पिक प्रस्ताव का सृजन कर सके। अब तक यह संगठन कार्यशाला, कांफ्रेंस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के जरिये अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता रहा है लेकिन अब इस पत्रिका के माध्यम से यह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अतिथि लेखकों, जिनमें विद्वजन, अधिवक्ता, सरकार, पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

संपादकीय

संरक्षण

पद्मश्री डा. उषा किरण खान
प्रख्यात लेखिका एवं साहित्यकार

मणिकांत ठाकुर
प्रख्यात पत्रकार

प्रो. भारती एस. कुमार
प्रोफेसर (सेवा.) इतिहास, पटना विवि

डा. रेणु रंजन
प्रोफेसर (सेवा.), समाज शास्त्र
पटना विवि

प्रो. डेजी नारायण
प्रोफेसर, इतिहास, पटना विवि

परामर्श

मनीष कुमार
ब्यूरो चीफ, एन.डी.टी.वी. बिहार

कीर्ति
नेशनल कोऑर्डिनेटर, कैरीटास स्विट्जरलैंड (CARITAS Switzerland)

डा. शरद कुमारी
सचिव, बिहार महिला समाज

अंजिता सिन्हा
पत्रकार

डा. मधुरिमा राज
लेखिका

शिक्षा का स्तर किसी भी राष्ट्र अथवा क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, और वो भी दोनों लिंग के लोगों की शिक्षा का स्तर। यही कारण है कि हमारी सरकार 'सबके लिए शिक्षा' पर जोर देती है। भारत ने शिक्षा पर तेजी से काम किया है और एक उल्लेखनीय तरक्की करते हुए इसे 1947 के 12 प्रतिशत से उठाकर 2011 में 74.04 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। हालांकि इसके बाद भी देश वो हासिल नहीं कर पाया है जो उसे इस अवधि तक पा लेना चाहिए था।

दुनिया में 900 मिलियन लोग न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। यूनेस्को के मुताबिक, इनमें से 287 मिलियन, यानी 37 प्रतिशत निरक्षर भारतीय हैं। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है लेकिन फिर भी दुनिया में कई बच्चे अत्यधिक गरीबी, अभाव, बढ़ती आबादी, युद्ध तथा प्राकृतिक विपदाओं के कारण शिक्षा ग्रहण कर पाने में असमर्थ हैं। गरीबी और निरक्षरता का संबंध निकट का है–और दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के कारण भारत विश्व के एक–तिहाई गरीबों का घर है। चूंकि करीब 22 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है, ऐसे में अनुमान है कि देश की करीब आधी जनसंख्या के पास मूलभूत साक्षरता कौशल भी नहीं है। देश में गरीबी की दर घट रही है, लेकिन खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता, निम्न स्तर की शिक्षा, बेरोजगारी और कुपोषण की समस्या बनी हुई है। ये सब मिलकर निश्चित रूप से साक्षरता की दर को प्रभावित करते हैं। चैरिटी के मुताबिक, ''बिहार में दलित महिलाओं में साक्षरता दर 38.5 प्रतिशत है जो अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता दर से 30 साल पीछे है।'' देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी भिन्नताएं हैं। सरकार के कुल व्यय का 10.5 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है लेकिन इसका वितरण भी सही ढंग से नहीं किया गया है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट कहती है कि जहां केरल जैसे समृद्ध राज्य अपने एक बच्चे पर सालाना 685 डॉलर का खर्च करते हैं वहीं बिहार जैसे गरीब राज्य सालाना 100 डॉलर ही व्यय कर पाते हैं।

भारत उन देशों में शामिल है जिसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इन देशों में आस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और कनाडा जैसे देशों के नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षा की गुणवत्ता का–जिसने भारत को उन 21 देशों की सूची में डाल दिया है जो 'गंभीर' शिक्षा संकट का सामना कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, ये माना जाता है कि विश्व के 85 देशों में से 21 देशों के आधे से अधिक बच्चे केवल मूलभूत शिक्षा ही पा रहे हैं। भारत इस सूची में अन्य देशों के अलावा सब–सहारा अफ्रीका, मोरक्को और पाकिस्तान के साथ शामिल है। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी इसका ठीक तरीके से अनुपालन नहीं कराया जा सका है। ऑक्सफेम के मुताबिक, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में 78 प्रतिशत लड़कियां हैं। ये कहता है, ''अगली पीढ़ी में इन लड़कियों की गिनती निरक्षर औरतों में की जाएगी जिनका बुरा प्रभाव उनके बच्चों पर होगा।''

हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में भी काफी अंतर है। एक अनुमान के मुताबिक, अगर यही दर रही तो वैश्विक साक्षरता दर को प्राप्त करने में भारत को 2060 तक का समय लग जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, पुरुषों में साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत जबकि औरतों में 65.46 प्रतिशत है। हालांकि 2011 से लेकर अब तक महिलाओं ने तरक्की की है और ये अंतर कुछ कम हुआ है। जनगणना में कहा गया है कि 2011 तक देश में 110 मिलियन अतिरिक्त औरतों ने शिक्षा पाई जबकि पुरुषों की संख्या 107 मिलियन रही। इसका तात्पर्य है कि शिक्षित औरतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारत की कुल आबादी में आधी संख्या औरतों की है लेकिन अशिक्षा के कारण विकास योजनाओं तथा कार्यों में उनका समुचित योगदान नहीं हो पाता है। ऐसे में जितनी गति विकास की होनी चाहिए थी उतनी

हमारी बात

मुख्य संपादक

नीना श्रीवास्तव

संपादक

दीपिका झा

शोध

नीना श्रीवास्तव
दीपिका झा

प्रबंधन/व्यवस्था

राहुल कुमार

प्रकाशन

इक्विटी फाउंडेशन

सहयोग

सुलभ इंटरनेशनल
सुधा डेयरी
तक्षशिला एजुकेशनल सोसायटी
पावरग्रिड कार्पोरेशन
द ऑफसेटर, पटना
बंसल ट्यूटोरियल, पटना
इंटरनेशनल स्कूल, पटना

संपर्क

इक्विटी फाउंडेशन
123 ए, पाटलीपुत्र कॉलोनी
पटना, 13
फोन : 0612-2270171

ई–मेल
equityasia@gmail.com
वेबसाइट
www.emanjari.com

© इक्विटी फाउंडेशन

नहीं हो पाती है। जो महिलाएं साक्षर हैं यदि वे उसका इस्तेमाल अपने कामों में नहीं कर पाती हैं तो इससे भी अंततः समाज को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है।

देश के अलग–अलग प्रांतों में महिला शिक्षा की दर में अत्यधिक अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में दर अधिक है। केरल में महिला शिक्षा की दर सर्वाधिक है (92 प्रतिशत) तो राजस्थान में सबसे कम (52.7 प्रतिशत)। सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में निम्न महिला साक्षरता दर पाई जाती है जो क्रमशः 59.3 तथा 53.3 प्रतिशत है। इसका सीधा प्रभाव वहां के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर पर देखा गया है। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है।

बिहार देश का सबसे निरक्षर प्रदेश है, यहां के 32 मिलियन लोग पढ़ नहीं सकते। इनमें से 20 मिलियन औरते हैं। वे दवा की बोतलों पर लगे लेबल या बस स्टॉप पर सूचना को नहीं पढ़ पाती हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों को पत्र भी नहीं लिख पाती हैं। वे बाजारों में खुदरा पैसे को नहीं गिन पाती हैं बल्कि उन्हें ये भी पता नहीं होता कि क्या दुकानदार उन्हें धोखा दे रहा है। ये महिलाएं अपने बच्चों का होमवर्क नहीं करा पाती हैं और न ही उनकी शिक्षा को दिशा दे पाती हैं। सबसे बुरी बात ये कि उनके पास अपने भविष्य को बदलने की कोई उम्मीद भी नहीं होती।

राज्य में 1000 पुरुषों पर केवल 918 औरते हैं। यह आंकड़ा लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या की गंभीर समस्या को भी दर्शाता है। लड़कों को परिवार का वारिस और लड़कियों को बोझ समझने की प्रवृत्ति इसके पीछे मुख्य वजह है। राज्य में 60 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र तक हो जाती है। जल्दी शादी के पीछे उन्हें बोझ मानने की सोच है जिससे माता–पिता जितनी जल्दी हो छुटकारा पा लेना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें लगता है कि शादी कर देने से उनकी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। जबकि उनकी सोच के विपरीत कम उम्र में शादी करने से गरीबी का दुश्चक्र शुरू हो जाता है जो कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु, बेरोजगारी, निरक्षरता और निम्न जीवन प्रत्याशा को बढ़ावा देता है।

बिहार का हर 3 में से 1 नागरिक गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करता है। एक अनुमान बताता है कि देश में 33 प्रतिशत आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जो 368–558 रुपए प्रतिमाह के करीब होती है (6 से 9 डॉलर के बीच)। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिमाह गरीबी की दर 38 डॉलर निर्धारित की गई है। बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए अपने सभी बच्चों को स्कूल भेजना संभव नहीं हो पाता है और जब चुनाव करना हो तो वे बेटियों की अपेक्षा बेटों को ही स्कूल भेजने को प्राथमिकता देते हैं। वे यह नहीं समझना चाहते हैं कि बेटियों को अशिक्षित रखने से पूरा परिवार प्रभावित होता है। ये पाया गया है कि अशिक्षित औरतें जीवन में अधिक संघर्ष करती हैं। उनकी प्रजनन दर तथा मातृ मृत्यु दर दोनों अधिक होती है। वे कुपोषण और अन्य कई बीमारियों की शिकार होती हैं। न केवल वे बल्कि उनकी अगली पीढ़ी भी अशिक्षा के इस जहर को पीने के लिए विवश होती हैं। शिक्षा का अभाव यानी जानकारी का अभाव। अशिक्षित औरतें कभी अपने अधिकारों को ठीक तरीके से जान नहीं पाती हैं।

भारत में माता–पिताओं में अपनी बेटियों को शिक्षित करने को लेकर नकारात्मक सोच रखना उनकी निम्न शिक्षास्तर का बड़ा कारण है। परिवार में उन्हें कमाने वाले सदस्य के तौर पर नहीं देखा जाता है, इसलिए उन्हें पढ़ाने–लिखाने में पैसा खर्च करना बर्बादी मानी जाती है। फिर शादी के बाद वे अपने पति के घर चली जाती हैं तो ऐसे में उन्हें शिक्षित करने का कोई लाभ अभिभावकों नहीं दिखाई देता है। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए सरकार तो अपना काम कर ही रही है, जरूरत इस बात की है कि हम सब भी अपने प्रयास जारी रखें।

नीना श्रीवास्तव

थीम पेपर

लड़कियों को पढ़ने दो

बालिका शिक्षा को लेकर वैश्विक संकट पर अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का 'दि अटलांटिक' पत्रिका में लिखा गया आलेख।

2 नवम्बर, 2015। इस समय, पूरी दुनिया में करीब 62 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। उन्हें किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा नहीं मिल रही है– न पढ़ना, न लिखना, न गणित– न ही ऐसी कोई आधारभूत शिक्षा उन्हें या उनके परिवार को दी जा रही है जिसकी वे हकदार हैं और जिसके जरिये वे अपने देश में योगदान दे सकें।

प्रायः, इस मुद्दे को संसाधनों के मामले के रूप में देखा जाता है–लड़कियों की शिक्षा के लिए जरूरी राशि को निवेश करने में विफलता। हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, अगर हम लड़कियों को छात्रवृत्ति दें, जिससे वे स्कूल की फीस, पोशाक और अन्य जरूरतों की पूर्ति कर सकें; तथा अगर हम उन्हें स्कूल आने–जाने के लिए सुरक्षित सड़क व साधन दें जिससे कि उनके माता–पिता आश्वस्त हो सकें कि स्कूल जाने या वहां से लौटने के दौरान उनकी बेटी के साथ यौन दुर्व्यवहार नहीं होगा; और अगर हम स्कूलों में लड़कियों के लिए पर्याप्त शौचालय बनवा सकें ताकि उन्हें मासिक चक्र के दौरान घर पर नहीं बैठना पड़े और अंततः उन्हें स्कूल छोड़ना नहीं पड़े।

ये सच है कि वैश्विक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के संकट को दूर करने के लिए ऐसे निवेशों को कर पाना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए, पिछली बसंत में, राष्ट्रपति और मैंने, मिलकर एक नई शुरुआत की है 'लड़कियों को पढ़ने दो (Let Girls Learn)' एक पहल जो समुदाय में लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में आर्थिक सहायता कर सके, जैसे कि लड़कियों के लिए लीडरशिप कैम्प बनाने, स्कूलों में शौचालय बनवाने, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रह रही लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध करने, गरीबी दूर करने, एचआईवी, तथा ऐसे ही अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए जो लड़कियों को स्कूल से दूर कर देते हैं।

उपरोक्त निवेश हमारी लड़कियों की शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। छात्रवृत्ति, शौचालय और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक कि समाज मासिक चक्र को शर्मनाक मानता रहेगा और इस दौरान लड़कियों को बहिष्कृत करता रहेगा। या, समाज बलात्कारियों को सजा देने में विफल रहेगा और बलात्कार पीड़िता को 'खराब सामान' के तौर पर खारिज करता रहेगा। या, वो लड़कियों को काम करने और अपने परिवार का सहयोग करने के कम से कम अवसर प्रदान करता रहेगा। इस तरह, गरीबी से जूझ रहे अभिभावकों के सामने केवल आर्थिक अवरोध ही नहीं हैं जो उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल जाने से रोकते हैं।

दूसरे शब्दों में, हम लड़कियों के लिए शिक्षा के संकट को तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि व्यापक स्तर पर व्याप्त उन सांस्कृतिक धारणाओं तथा प्रथाओं को दूर नहीं कर लिया जाता जो इस संकट को उत्पन्न करने और उसे बरकरार रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यही वो असल संदेश है जो मैं इस हफ्ते मध्य–पूर्व की अपनी यात्रा के दौरान स्पष्ट करना चाहती हूं। मैं जॉर्डन के एक स्कूल –उन कई स्कूलों में से एक में, जहां जॉर्डन के बच्चों के साथ–साथ उन बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है जिनके माता–पिता युद्ध में शामिल होने के लिए सीरिया भाग गए हैं– में जाऊंगी, लड़कियों की शिक्षा में निवेश की ताकत के बारे में बताने के लिए। मैं कतर में वैश्विक शिक्षा पर एक समारोह को भी संबोधित करूंगी जहां से मैं पूरी दुनिया को लड़कियों की शिक्षा में निवेश के बारे में बता सकूंगी और उन कानूनों और प्रथाओं को चुनौती देने की अपील कर सकूंगी जो औरत को नीचा दिखाते हैं, उसके साथ क्रूरता करते हैं–खतना से लेकर जबर्दस्ती बाल विवाह तक और उन कानूनों तक जो विवाह के बाद बलात्कार की इजाजत देते हैं और कार्यस्थल पर औरतों को नुकसान पहुंचाते हैं।

थीम पेपर

हम जानते हैं कि कानूनी और सांस्कृतिक बदलाव संभव हैं क्योंकि हमने दुनिया भर के देशों में ऐसा होते हुए देखा है, जिसमें हमारा अपना देश भी शामिल है। एक सदी पहले तक, अमेरिका में औरतें वोट नहीं डाल सकती थीं। एक दशक पहले तक, महिलाओं को नौकरी पर रखने से इंकार करना नियोक्ताओं के लिए पूरी तरह कानूनी था और घरेलू हिंसा को अपराध नहीं माना जाता था बल्कि उन्हें निजी पारिवारिक मामलों के तौर पर देखा जाता था। लेकिन हर पीढ़ी में, साहसी लोग–स्त्री और पुरुष–इन गलत प्रथाओं को बदलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों के जरिये ऐसा किया– अपने मालिक को अदालत तक ले गए, बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, और अत्याचार करने वाले अपने पति को छोड़ दिया–और राष्ट्रस्तरीय आंदोलनों तथा कानूनों के जरिये परिवर्तन लेकर आए। 19वां संशोधन, टाइटल IX और महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम।

इस तरह के सांस्कृतिक बदलाव देशों को बालिका शिक्षा में बड़े निवेश करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। और जैसे ही वे ऐसा करते हैं, वे एक और बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो महिलाओं के पक्ष में सांस्कृतिक और राजनीतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो लड़कियां पढ़ी–लिखी होती हैं वे शादी देर से करती हैं, उनमें शिशु और मातृ मृत्यु दर कम होती है, उनके बच्चों को समय पर टीके लगवा दिए जाते हैं और वे एचआईवी के संपर्क में कम आते हैं। शिक्षित लड़कियां ज्यादा वेतन कमा सकती हैं–अपने माध्यमिक विद्यालय के हर नए वर्ष के लिए 15 से 25 प्रतिशत अधिक वेतन–अध्ययनों से ये साबित हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को स्कूल भेजने से पूरे देश की जीडीपी में इजाफा होता है। और जब पढ़ी–लिखी लड़कियां आगे चलकर स्वस्थ, आर्थिक तौर पर सशक्त और सुरक्षित औरतें बनती हैं तो वे अपनी जरूरतों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकती हैं तथा नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं और पक्षपाती कानूनों को चुनौती दे सकती हैं। तो वास्तव में ये एक बेहतर चक्र हो सकता है।

लेकिन आखिरी तौर पर, मेरे लिए, ये मामला केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था का नहीं है–मेरे लिए, यह एक नैतिक मामला है। मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है और मैं ऐसी कई लड़कियों से मिली हूं। पहली नजर में ही मैंने पाया है कि हर बच्ची में कुछ न कुछ अलग करने की असाधारण चमक छिपी है और उनमें अपने वादों को पूरा किए जाने की भूख है। वे रोज घंटों पैदल चलकर स्कूल पहुंचती हैं और कंक्रीट के बने क्लासरूम में जीर्ण–शीर्ण डेस्क पर पढ़ती हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी वे हर रात को घंटों पढ़ाई करती हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि भविष्य के लिए उनकी उम्मीदें बरकरार रहें।

ये लड़कियां मेरी बेटियों या किसी भी अन्य की बेटियों से अलग नहीं हैं। हमें अपनी बेटियों की देह को बिकते हुए या छोटी बच्चियों की अधेड़ मर्द के साथ शादी होते हुए देखते नहीं रहना है। हमें उन्हें ऐसे समाज में बड़ा नहीं करना है जो उनकी आवाज को दबा दे और उनके सपनों को छिन्न–भिन्न कर दे। यहां अमेरिका में हममें से कोई भी अपनी बेटियों या पोतियों के साथ ऐसा होना स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर हम इस पूरी धरती पर किसी भी अन्य बच्ची के साथ इसे बर्दाश्त क्यों करें?

प्रथम महिला होने के नाते, एक मां और एक इंसान होने के नाते, मैं इन बच्चियों से भाग नहीं सकती और मैंने सोच लिया है कि मैं पूरी जिंदगी इन बच्चियों की तरफ से आवाज उठाती रहूंगी। मैंने सोचा है कि मैं दुनिया के नेताओं से आग्रह करती रहूंगी कि वे बच्चियों की क्षमताओं में निवेश करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां उन्हें एक इंसान के तौर पर सम्मान मिल सके। मैंने सोचा है कि मैं स्थानीय नेताओं, परिवारों और लड़कियों तक पहुंचती रहूंगी और उन्हें बच्चियों को स्कूल भेजने की ताकत के बारे में बताती रहूंगी। और मैंने सोचा है कि मैं इस मुद्दे पर यहां अपने घर में भी बात करती रहूंगी। क्योंकि मेरा मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर स्त्री और पुरुष का यह नैतिक दायित्व है कि वो इन बच्चियों का भविष्य बेहतर बनाएं।

अनुक्रमणिका

संकल्पना

हमारी बात : संपादकीय

थीम पेपर: लड़कियों को पढ़ने दो — 1.
– मिशेल ओबामा

मुझे पढ़ना है: पढ़ना है–कविता — 4.
–कमला भसीन

स्त्री और विकास: भारत के विकास में स्त्रियों का महत्व — 5.
– प्रो डॉमिनिक एंक्सो
–प्रो थॉमस लिंड

आंकड़ों की नजर में: उच्च शिक्षा में स्त्रियों की स्थिति — 7.
–तुषार कांति घारा

चेंजमेकर: मलाला: लड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो — 9.

दुरुपयोग: 'शिक्षित' शहरी स्त्रियों का एक पहलू यह भी — 10.
– पद्मजा अयंगर

उच्च शिक्षा: महिला सशक्तीकरण और उच्च शिक्षा — 12.
– प्रो. विभूति पटेल

बिहार: सशक्त हथियार है शिक्षा — 14.
–डॉ ज्योति

अवरोध : लड़कियां स्कूलों से अब भी दूर क्यों? — 16.
– रशेल विलियम्स

गांवों में शिक्षा: ग्रामीण बिहार में महिला शिक्षा — 18.
– किशोर भट्टाचार्जी

असलियत: सिर्फ साक्षर होना ही काफी नहीं — 20.
–दीपिका झा

अर्थव्यवस्था : महिला शिक्षा और आर्थिक विकास — 23..
–रिपुदमन सिंह

समाज: शिक्षा और महिला सशक्तीकरण: जेंडर दृष्टिकोण — 25.
–रश्मि झा

विचार मंच — 27.

श्रोत

http://thecsrjournal.in
http://aiwefa.org
http://digitallearning.eletsonline.com
www.shodhganga.inflibnet.ac.in
www.yourarticlelibrary.com
www.google.com
www.hindustantimes.com
www.timesofindia.com
www.indiainfoline.com
www.un.org/womenwatch
www.indiaspend.com
www.malala.org

Images from

www.google.com
https://in.pinterest.com

पढ़ना है!

कमला भसीन

'संगत' के साथ सलाहकार के रूप में कार्यरत, 'जागोरी' नई दिल्ली तथा 'जागोरी' ग्रामीण, हिमाचल प्रदेश के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध। 'वन बिलियन राइजिंग' की दक्षिण एशिया समन्वयक।

बाप–बेटी से –
पढ़ना है! पढ़ना है! क्यों पढ़ना है!
तुम लड़की हो तुम्हें क्यों पढ़ना है?
पढ़ने को बेटे काफी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है?

बेटी–बाप से –

जब पूछा ही है तो सुनो
मुझे क्यों पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ
मुझे पढ़ना है

पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है
मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है
सपनों ने ली अँगडाई है सो पढ़ना है
कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है
मुझे अपने पाँवो चलना है सो पढ़ना है
मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है
क्योकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

कई ज़ोर जुल्म से बचना है सो पढ़ना है
कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है
मुझे नए धर्मो को रचना है सो पढ़ना है
मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है
मीरा का गाना गाना है सो पढ़ना है
मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है
अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है।

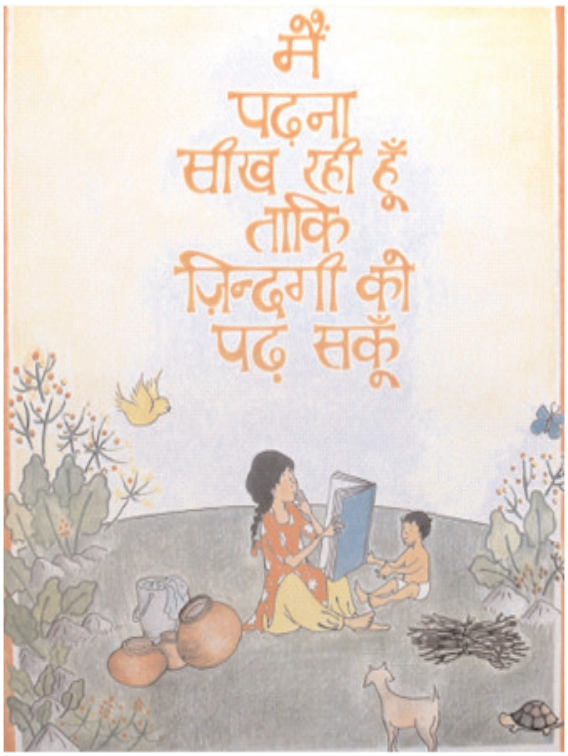

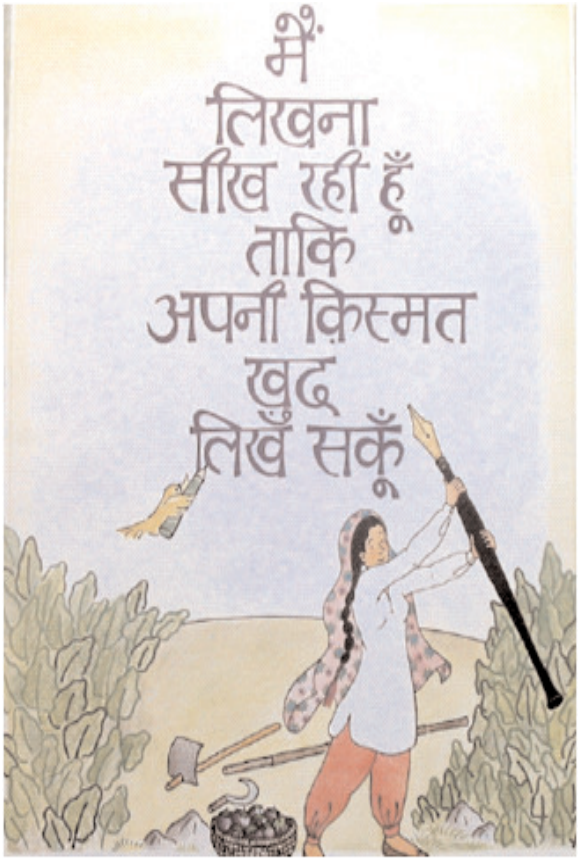

भारत के विकास में स्त्रियों का महत्व

प्रो डॉमिनिक एंक्सो
प्रो थॉमस लिंड

(प्रोफेसर, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, लिनियस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रम बाजार पर विशेषज्ञता हासिल)

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां की आधी आबादी महिलाएं हैं। स्त्रियों की दशा किस प्रकार देश के विकास को प्रभावित करती है, यह आलेख इसी तथ्य की पड़ताल करता है। इसमें माध्यमिक शिक्षा, महिला श्रम बल की सहभागिता तथा सक्रिय आबादी में वृद्धि एवं मानव विकास सूचकांक पर (एचडीआई) पर उनके प्रभाव की व्याख्या की गई है। इसके अलावे यह बताने की कोशिश भी की गई है कि महिलाओं के लिए संसाधनों के प्रभावी वितरण से देश के जीवन स्तर को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। हालांकि भारत में संसाधनों का समान वितरण भी वास्तव में एक प्रश्न ही है क्योंकि यहां आज भी औरतों को पुरुषों के समान आजादी और अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

इस आलेख का उद्देश्य ये दर्शाना है कि कैसे महिलाओं की स्थिति किसी देश के विकास को प्रभावित कर सकती है। क्या होता अगर औरतों को पुरुषों के समान अधिकार और संसाधन प्राप्त होते? इसके लिए कुल जनसंख्या वृद्धि के स्थान पर सक्रिय जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

भारत में शिक्षा

1960 से ही भारत में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सरकारों द्वारा संचालित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है लेकिन उनका स्तर निम्न है। उनमें भी राज्यों के स्तर पर तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में काफी भिन्नता देखी जाती है। केरल और बिहार की साक्षरता दर में बहुत अंतर है। इसके साथ ही महिला और पुरुषों की साक्षरता दर में भी काफी अंतर है। दुख की बात ये है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होने के बाद भी निर्धन परिवारों के बच्चे विद्यालयों तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसका बड़ा कारण आर्थिक है क्योंकि अगर वे बच्चे पढ़ाई करने स्कूल जाएंगे तो इस दौरान उनके माता–पिता को उनसे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा खो देना होगा। विडंबना है कि आज भी देश में बाल श्रम धड़ल्ले से जारी है। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजने की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी।

जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वे अपने पैतृक घर को छोड़कर पति के घर चली जाती हैं। इसके कारण माता–पिता को उनकी शिक्षा पर निवेश करने में कोई लाभ नजर नहीं आता है। दूसरी ओर, शादी के बाद बेटे अपने माता–पिता के साथ ही रहते हैं और बूढ़े होने पर उनकी देखभाल करते हैं। इससे माता–पिता को अपने बेटों पर निवेश करने में लाभ नजर आता है। इस मामले में द्रविड़ महिलाएं देश की अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं क्योंकि उनमें मातृसत्तात्मक परिवारों का चलन है। यहां लड़कियों को अपनी मां से उत्तराधिकार प्राप्त होता है। भारत में द्रविड़ों का आगमन पर्सिया, इजिप्ट, इराक, सीरिश और अरब देशों से हुआ था।

अध्ययनों से ये पता चला है कि निरक्षर औरतें आर्थिक विकास को बाधित करती हैं और सामाजिक असमानता को बढ़ाती हैं। ज्यादातर विकासशील देशों में पुरुषों की शिक्षा की तुलना में महिला शिक्षा का देश को ज्यादा फायदा मिला है। कभी–कभी तो ये लाभ सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश से भी अधिक होता है। स्त्री शिक्षा श्रम बल में स्त्रियों की सहभागिता को बढ़ाती है, उनमें प्रजनन की दर को कम करती है और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण की दर को सुधारती है। एक शिक्षित मां अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतर माहौल का निर्माण करती है। एक बुरे पारिवारिक चक्र की उत्पत्ति तब होती है जब घर की औरत पढ़ी–लिखी नहीं होती है। परिवार से होता हुआ यह चक्र समाज और फिर अंत में देश तक पहुंच जाता है।

प्राथमिक शिक्षा

भारत ज्यादातर उच्च शिक्षा में निवेश करता है और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर बहुत कम जबकि वास्तव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनसे ही लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि बालिका शिक्षा पर निवेश के द्वारा देश ने शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसके साथ ही स्त्री शिक्षा के लिए अन्य कई प्रकार के उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। देश में लड़कियों की शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक और बड़ा अवरोध शिक्षकों की कमी है। 1999 में दि पब्लिक रिपोर्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन द्वारा कराए गए एक सर्वे में बताया गया कि कुल बहाल शिक्षकों में से आधे ही वास्तव में बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसका परिणाम ड्रॉप आउट की बढ़ती

स्वास्थ्य पर महिला शिक्षा के प्रभाव

Education Level of Females	Fertility Rate	Women Median Age of Marriage	% of Women 15–19 Begun Child Bearing	Mothers' age at 1st birth	Children < 5 Mortality (per 1,000 births)	% of Children with all basic vaccinations	% of Children who are malnourished (weight for age: < 2 S.D)	% of Women with Knowledge of HIV/ AIDS
None	3.55	15.5	32.6	18.7	94.7	26.1	52	30.3
< 5 years	2.45	16.5	21.2	19	78.8	46.1	45.8	57.2
5–7 years	2.51	17.3	19.6	19.6	60.5	51.8	38.5	69.4
8–9 years	2.23	18.7	8.5	20.8	46.9	59.7	34.9	85.1
10–11 years	2.08	19.7	6.1	21.8	40.2	66.1	26.8	94.9
> 12 years	1.8	22.8	3.6	24.8	29.7	75.2	17.9	99.0

श्रोतः नेशनल फैमिल हेल्थ सर्वे 3 (2007)

दर के रूप में सामने आता है। 4 से 5 साल तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी बच्चों को विषय की मौलिक जानकारी नहीं हो पाती है। शिक्षकों पर ज्यादा दबाव और उनमें योग्यता की कमी जैसे कारक प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। सरक. ारी विद्यालयों की अक्षमता के कारण शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी कम फीस वाले निजी विद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है लेकिन उनमें भी शिक्षकों की योग्यता का ध्यान बहुधा नहीं रखा जाता है।

माध्यमिक शिक्षा

हाल के अध्ययनों ने यह साबित किया है कि गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ने के लिए माध्यमिक शिक्षा का महत्व कहीं ज्यादा है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लड़के और लड़कियों को उनके काम के लिए पहले से बेहतर पगार पाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। हालांकि यहां भी लड़कियों को लड़कों की तुलना में आय प्राप्ति कम होती है लेकिन यदि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लड़कियों के लाभों की आपस में तुलना की जाए तो निस्संदेह माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लड़कियों को लाभ ज्यादा मिलता है। न केवल आय के मामले में बल्कि मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दृष्टि से भी माध्यमिक शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि अभी भी सरकारी स्कूल माध्यमिक शिक्षा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए हैं फिर भी निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस और उन तक पहुंच आसान नहीं हो पाने के कारण ये बहुसंख्य आबादी की जरूरत बने हुए हैं। विशेषकर सुदूर तथा ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल ही माध्यमिक शिक्षा के सबसे बड़े केन्द्र हैं।

महिला श्रम बल सहभागिता

किसी भी देश अथवा समाज में शिक्षा और श्रम बल का आपस में अन्योन्याश्रय संबंध है। भारत में कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों की मांग तेजी से बढ़ रही है चाहे वो शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण। इसके अलावा कुशल श्रमिकों की मांग देश के बाहर भी हो रही है लेकिन इसका अच्छा और बुरा दोनों ही पहलू सामने आ रहा है। ये ठीक है कि कुशल श्रमिकों को पहले की तुलना में अधिक काम और आय प्राप्त हो रही है लेकिन बुरा पक्ष ये है कि नियोक्ता निम्न स्तर के काम के लिए भी उच्च कुशलता प्राप्त श्रमिकों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में श्रमिकों को उनकी कुशलता तथा शिक्षा के मुताबिक कम निपुणता वाले काम करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

इसके अलावे असंगठित क्षेत्रों में एकता तथा नियमों का अभाव होता है। बहुधा वे निबंधित भी नहीं होते हैं। इसका खामियाजा श्रमिक को भुगतना पड़ता है। वे अपनी मांगों को न तो समवेत स्वर में उठा पाते हैं और न ही नियोक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करवा पाते हैं। नियोक्ता उनकी कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाते हैं। आबादी बढ़ने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के रोजगार भी बढ़ते जाते हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं ने स्वयं को 'सेवा' जैसे संघों के माध्यम में सशक्त बनाने की कोशिश की है।

निष्कर्ष

सरकार को बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लड़कियां और औरतें पढ़ाई और काम के लिए घर से निकल सकें। जिस तरह 'सेवा' औरतों को काम पर निकलने के लिए उनके घर के बुजुर्गों की देखभाल का जिम्मा ले रहा है। महिला शिक्षा और श्रम बल में उनकी सहभागिता अगली पीढ़ी के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं जो अंततः देश के विकास को निर्धारित करते हैं।

आंकड़ों की नजर में

शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को यदि बढ़ाया जाए तो इससे लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति तथा आर्थिक सुदृढ़ता के स्तर में व्यापक बदलाव आता है। ये जानते हुए भी कि महिलाएं अपने कौशल का पूरा उपयोग देश की प्रगति के लिए कर सकती हैं, कई देश अब भी उनके प्रति भेदभाव को समाप्त नहीं कर पाए हैं।

उच्च शिक्षा में स्त्रियों की स्थिति

''अपनी स्त्रियों को पहले शिक्षा दो और उन्हें स्वयं पर छोड़ दो, फिर वे तुम्हें बताएंगी कि किन सुधारों की आवश्यकता है''–स्वामी विवेकानंद।

ये सत्य है कि महिला शिक्षा और सशक्तीकरण सतत विकास के सूचक हैं। लेकिन स्त्री शिक्षा से अभिप्राय न केवल प्रारंभिक तथा स्कूली शिक्षा से है बल्कि उच्च शिक्षा एवं विशेषकर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा व शोध संस्थानों तक स्त्रियों की पहुंच भी इसके दायरे में आते हैं। इस अध्ययन में शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच को उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या तथा उनमें महिलाओं के नामांकन की दर के दृष्टिकोण से किया गया है।

भारत के लगभग हर राज्य में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन की दर में इजाफा देखा गया है। हालांकि ये दर अब भी बहुत कम है, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में। दरअसल, हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक अजीब धारणा सदियों से चली आ रही है कि उन्हें आय आधारित शिक्षा अथवा रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए, अलबत्ता बिना आय वाला काम वे कर सकती हैं। समाज की इस धारणा के खिलाफ जाकर जिन महिलाओं ने अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए किसी व्यवसाय को अपनाया, आम तौर पर उन्होंने विवाह नहीं किया। हालांकि अब अनेक आर्थिक कारणों ने समाज की इस रुढ़िवादी सोच को बहुत हद तक बदल दिया है और परिवार के सुचारू संचालन की बाध्यता के कारण औरतों को भी वैतनिक काम करने की आजादी मिल गई है।

रोजगार या स्वरोजगार तब तक संभव नहीं है जब तक कि लड़के और लड़कियों की पहुंच उच्च शिक्षा तक न हो। खासकर ग्रामीण इलाकों में लड़कियां इससे वंचित रह जाती हैं क्योंकि वहां कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं होते। इस अध्ययन में बताया गया है कि शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को यदि बढ़ाया जाए तो इससे लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति तथा आर्थिक सुदृढ़ता के स्तर में व्यापक बदलाव आता है। अमे. रिका, कनाडा, फिनलैंड तथा फ्रांस जैसे देशों में तो उच्च शिक्षा में नामांकन के मामले में वे लड़कों से भी आगे बढ़ गई हैं। ये जानते हुए भी कि महिलाएं अपने कौशल का पूरा उपयोग देश की प्रगति के लिए कर सकती हैं, कई देश अब भी उनके प्रति भेदभाव को समाप्त नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने तथा इसके प्रति सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि त्वरित वैधानिक सहयोग भी भी आवश्यकता है। उच्च शिक्षा से जुड़ी वित्तीय सहायताओं तथा छात्रवृत्ति की योजनाओं में लैंगिक संतुलन स्थापित कर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में कामयाबी मिली है।

तुषार कांति घारा

(संयुक्त निदेशक, पब्लिक इंस्ट्रक्शन तथा स्टेट नोडल ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाइअर एजुकेशन, पश्चिम बंगाल)

उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल विद्यार्थियों के अनुपात में महिलाओं का नामांकन

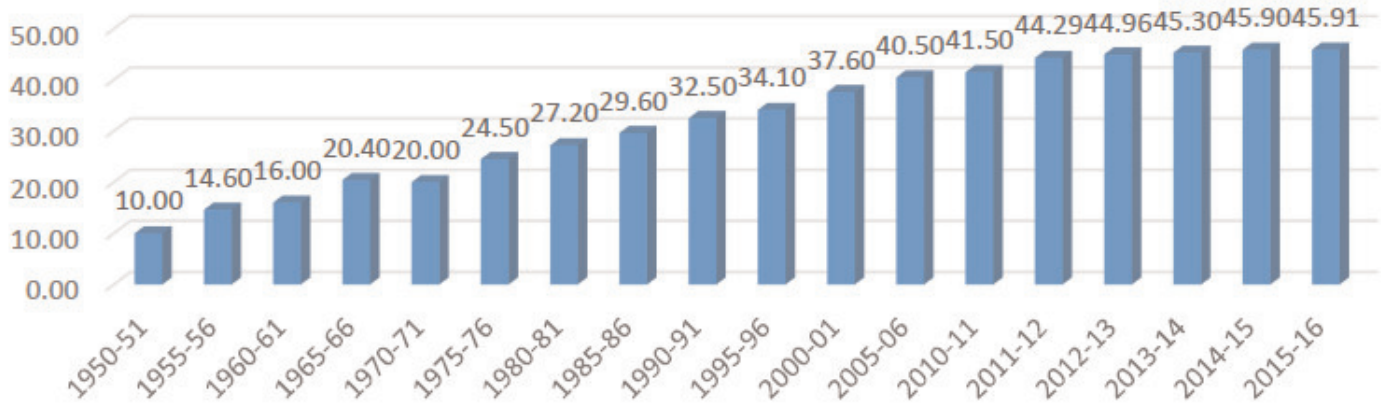

आंकड़ों की नजर में

भारत में महिलाओं की शिक्षा सरकार और नागरिक संगठनों, दोनों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि देश के निरंतर विकास में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वर्ष 2020 तक देश को विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा करने की चुनौती के बीच महिलाओं की शिक्षा के महत्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। समाज में स्त्रियों की दशा को बदलने के लिए ये एक बड़ा हथियार है। लेकिन देश में लागू सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम का भी अनुमान के मुताबिक प्रभाव नहीं पड़ सका। इस अध्ययन के आंकड़ों के लिए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाइयर एजुकेशन (एआईएसएचई) की मदद ली गई है। जनसंख्या के आंकड़े जनगणना 2011 तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लिए गए हैं।

- 2011–12 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में महिला शिक्षण संस्थानों का प्रतिशत 10.17 था जो 2015–16 में बढ़कर 10.72 हो गया। जिन राज्यों में महिला संस्थानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से भी कम हैं उनमें उत्तराखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू–कश्मीर, आंध्र प्रदेश तथा बिहार शामिल हैं। चंडीगढ़ तथा राजस्थान में इनकी संख्या अधिकतम है।
- 2011–12 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आयु (18–23) तक पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या 47.74 प्रतिशत थी वो संख्या 2015–16 तक पहुंचते–पहुंचते 48. 21 प्रतिशत हो गई।
- 2011–12 में लड़कियों के नामांकन की दर 44.29 प्रतिशत थी जो 2015.16 में बढ़कर 45.91 प्रतिशत हो गई।
- 2015–16 में जिन राज्यों में महिलाओं के नामांकन की दर राष्ट्रीय औसत से कम थी उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
- देश में महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए जितने भी संस्थान हैं, उनमें से केवल 5 प्रतिशत ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए हैं जबकि 67 प्रतिशत संस्थान सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए हैं।
- उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन की दर सबसे कम गुजरात में है जबकि केवल दो राज्यों में ही ये दर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है–केरल और हिमाचल प्रदेश।
- अध्ययन में ये भी पता चलता है कि यदि उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला शिक्षिकाओं की संख्या 55 प्रतिशत या अधिक हो तो वहां महिलाओं के नामांकन की दर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की मौजूदगी

State	Percentage of women in Higher Category out of Total Women	Percentage of women in Middle Category out of Total Women	Percentage of women in Lower Category out of Total Women	Percentage of women in Higher Education out of Total
Andhra Pradesh	12.72	70.74	16.53	33.64
Assam	23.81	55.95	20.18	37.83
Bihar	23.90	54.93	21.11	17.66
Chandigarh	32.06	44.80	23.14	58.94
Chhatisgarh	9.71	60.19	29.88	44.70
Delhi	32.95	47.39	19.63	53.05
Goa	18.25	38.27	43.48	56.17
Gujarat	16.97	57.58	25.29	36.54
Haryana	17.04	63.57	19.37	46.15
Himachal Pradesh	15.11	61.44	23.30	43.00
Jammu and Kashmir	16.34	53.58	29.85	38.95
Jharkhand	14.77	68.01	17.15	26.85
Karnataka	18.40	56.86	24.65	41.43
Kerala	14.47	67.37	18.09	57.87
Madhya Pradesh	17.07	64.50	18.43	38.95
Maharashtra	15.43	66.13	18.42	37.85
Odisha	7.65	68.79	23.51	33.15

मलाला : लड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो

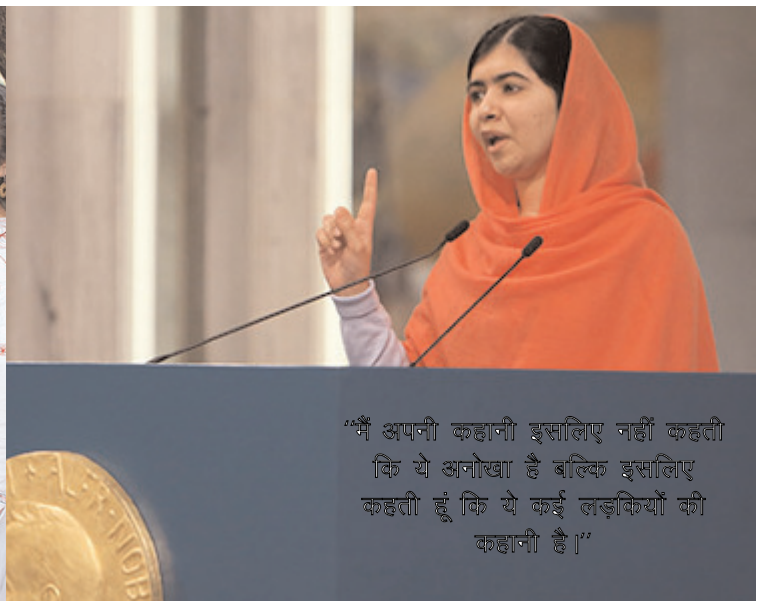

1997

मेरा जन्म पाकिस्तान के मिंगोरा प्रांत में 12 जुलाई, 1997 को हुआ था। पाकिस्तान में लड़की के जन्म लेने पर कभी खुशी नहीं मनाई जाती –लेकिन मेरे पिता, जियाउद्दीन युसुफज़ई, मुझे वो हर मौका देने के लिए प्रतिबद्ध थे जो किसी भी लड़के को दिया जा सकता था।

2008

मेरे पिता शिक्षक थे और गांव में लड़कियों का स्कूल चलाते थे। मुझे स्कूल जाना पसंद था। लेकिन सब कुछ तेजी से बदलने लगा जब तालिबान ने हमारी स्वात घाटी पर कब्जा कर लिया। उग्रवादियों ने कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया–जैसे कि टेलीविजन रखना और संगीत सुनना–और उन लोगों को कड़ी सजा देने लगे जो उनके आदेशों की अवहेलना करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियां अब कभी स्कूल नहीं जा सकती हैं।

जनवरी, 2008 में जब मैं 11 वर्ष की थी, मैंने अपने दोस्तों को अलविदा कह दिया–नहीं मालूम था कि फिर कभी उनसे मिल सकूंगी या नहीं।

2012

मैंने लड़कियों की ओर से शिक्षा पाने के उनके अधिकार के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। ऐसा करके मैं निशाने पर आ गई। 2012 के अक्टूबर में, जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी, एक नकाबपोश बंदूकधारी ने मेरी बस को रोका, और पूछा, ''कौन है मलाला?'' उसने मेरे सिर के बाएं हिस्से में गोली मार दी।

10 दिनों के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं इंग्लैंड के बर्मिंघम के एक अस्पताल में थी। डॉक्टरों और नर्सों ने मुझे उस हमले के बारे में बताया और कहा कि पूरी दुनिया मेरे स्वस्थ होने की कामना कर रही है।

2014

महीनों तक इलाज और कई ऑपरेशनों के बाद, मैं इंग्लैंड में अपने माता–पिता के साथ नए घर में रहने लगी। तब मुझे पता चला कि मेरे पास एक मौका है: मैं एक शांत जीवन जी सकती थी या मैं अपने इस नए जीवन का लाभ उठा सकती थी। मैंने संकल्प लिया कि अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखूंगी जब तक हर लड़की स्कूल नहीं जाने लगती।

अपने पिता के सहयोग से, मैंने मलाला फंड की स्थापना की, एक ऐसी सहयोग संस्था जो हर लड़की को अपना भविष्य चुनने का मौका देने के लिए समर्पित है। हमारे कार्य को मान्यता मिली, दिसम्बर, 2014 को मुझे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मैं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली इंसान बन गई।

2018

अभी मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रही हूं। हर दिन मैं ये सुनिश्चित करती हूं कि हर लड़की को निःशुल्क, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

मैं अलग–अलग देशों की यात्रा करती हूं, ताकि गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव से पीड़ित लड़कियों से मिल सकूं। मलाला फंड इन लड़कियों की कहानी को दूरी दुनिया के सामने लाने के लिए काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि साथ मिलकर हम ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां हर लड़की पढ़ सके और आगे बढ़ सके।

'शिक्षित' शहरी स्त्रियों का एक पहलू ये भी

यदि कानूनों ने वाकई वास्तविक पीड़िताओं को लाभ पहुंचाया है तो वहीं कई ऐसी औरतें भी हैं जिन्होंने इन कानूनों का भरपूर दुरुपयोग किया है और दुर्भाग्य से इनमें वे औरतें अधिक हैं जो पढ़ी–लिखी और शहरी हैं।

पद्मजा अयंगर

(सीनियर कंसल्टेंट, फाउंडेशन फॉर फ्यूचुरिस्टिक सिटीज। सामाजिक क्षेत्र में काम करने की उत्कंठा के कारण कई बैंकों में वरिष्ठ पद पर रहने के बाद इन्होंने स्वैच्छिक अवकाश ले लिया।)

एक महिला की ओर से इस आलेख को लिखा जाना कई दूसरी महिलाओं को चौंका सकता है तो कुछ को परेशान भी कर सकता है। जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला होने के नाते मैं वो सबसे 'योग्य' और 'अनुभवी' स्त्री हूं जो इस आलेख को लिख सकती है.....

आजादी के बाद, देश में पढ़ी–लिखी शहरी महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आज, महिलाएं व्यावसायिक रूप से हर स्तर पर काम कर रही हैं– जो ज्यादा शिक्षित हैं वे बैंक, कॉरपोरेट, सरक. ारी तथा सामाजिक सेक्टरों में अपनी सेवा दे रही हैं (इन सेक्टरों के शीर्ष पदों पर भी महिलाओं की अच्छी संख्या है), जबकि कम पढ़ी–लिखी महिलाएं बस कंडक्टर, पेट्रोल पंपों पर, कार्यालयों में चपरासी तथा सेल्स गर्ल के तौर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या उन स्त्रियों की भी है जो घरेलू दाई, आया, सफाईकर्मी या खाना पकाने का काम करती हैं। वास्तव में, गांवों में रहने वाली कई लड़कियां बेहतर शिक्षा तथा रोजगार के लिए शहर चली जाती हैं।

चूंकि शहरी पढ़ी–लिखी महिलाएं हर क्षेत्र में अपने हाथ आजमा रही हैं (हालांकि ये बार–बार दोहराया जाता है कि एक 'कांच की दीवार' अब भी मौजूद है) इसलिए, देश की सरकार ने भी अपना दायित्व निभाते हुए उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। इस आलेख के लिए यहां मैं दो कानूनों का उल्लेख करना चाहूंगी– सेक्शन 498–ए, दहेज प्रताड़ना के खिलाफ महिलाओं की रक्षा करने के लिए तथा कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन हिंसा से रक्षा के लिए विधेयक, 2010। दोनों ही कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से प्रशंसनीय, सकारात्मक और सक्रिय हैं। यद्यपि कि देश में शिक्षा और जागरूकता का स्तर बढ़ा है, फिर भी इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि दहेज लेने और देने का सिलसिला जारी है जबकि बड़ी संख्या में औरतें यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं (कार्यस्थल तथा अन्य जगहों पर भी)।

इस स्थान पर एक बिंदु पर विचार करना होगा कि यदि इन कानूनों ने वाकई वास्तविक पीड़िताओं को लाभ पहुंचाया है तो वहीं कई ऐसी दुष्ट औरतें भी हैं जिन्होंने इन कानूनों का भरपूर दुरुपयोग किया है...

सेक्शन 498–ए

1983 में संसद द्वारा पारित, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 498–ए एक आपराधिक कानून (नागरिक कानून नहीं) है जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:

''कोई भी जो, किसी महिला का पति हो या पति का रिश्तेदार हो, यदि महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद तथा जुर्माना हो सकता है। ये अपराध संज्ञेय लेने योग्य, गैर जमानती तथा समझौता न हो सकने वाले होते हैं।

सेक्शन 498–ए ने दहेज पीड़िताओं की बहुत सहायता की है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी बहुत सारी पीड़िताओं (खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों की) को इस कानून के बारे में पता नहीं है और वे हर अत्याचार को खामोशी से सह रही हैं। उन पर समाज और परिवार का दवाब इतना ज्यादा होता है कि कई बार वे अपनी जान तक दे देती हैं। उनकी पीड़ा की कहानी तभी बाहर आ पाती है जब पीड़िता के माता–पिता या कोई रिश्तेदार पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं या मीडिया उसे सामने लाता है....

सेक्शन 498–ए का एक दूसरा पहलू भी है। शहरी तथा मेट्रो इलाकों में, जहां इस कानून के लागू होने के उदाहरण बढ़ रहे हैं, कई मामले गलत साबित हो रहे हैं (जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार–बार स्वीकार किया गया है) क्योंकि तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल पत्नियों (अथवा किसी करीबी रिश्तेदार) द्वारा पतियों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में फैसला सुनाते हुए सेक्शन 498–ए को 'कानूनी आतंकवाद' तक की संज्ञा दी है। दुख की बात तो ये है कि जहां एक ओर कुछ दुर्भाग्यशाली, कम पढ़ी–लिखी तथा कम जागरूक बहनें दहेज प्रताड़ना के दंश को आज भी झेल रही हैं और अपनी जान दे रही हैं, वहीं पढ़ी–लिखी शहरी औरतें आईपीसी की धारा 498–ए का बुरी तरह दुरुपयोग कर रही हैं ताकि वे अपने अभागे पतियों से हर्जाने की रकम को अधिक से अधिक अनुपात में वसूल सकें। ऐसे भी मामले आए हैं जहां विवाहेतर संबंध में रही महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस कानून के दुरुपयोग से अपने पति को परेशान किया है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। सेक्शन 498–ए के दुरुपयोग के कुछ मामले देश के बाहर रह रहे दंपतियों के भी आए हैं जो खासकर कनाडा या अमेरिका में रह रहे हैं।

एक ऐसा ही चर्चित मामला अमेरिका में रह रहे डॉ बालाम. ुरली अंबती का है, जिन्होंने 17 साल की छोटी उम्र में ही अपनी एमडी की डिग्री पा ली थी। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ तीन साल तक भारत में हिरासत में रखा गया क्योंकि उनके भाई की पत्नी ने उनपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दायर किया हुआ था। अक्टूबर, 1996 में उनलोगों पर लगाए गए सभी आरोप निराधार साबित हुए थे जबकि उनके परिवार के सभी सदस्यों को 1999 में बरी किया गया था। अदालती कार्रवाई के कारण डॉ अंबती ऑफ्थेलमोलॉजी प्रोग्राम में दो साल विलंब से शामिल हुए। सुनवाई के दौरान अंबती परिवार ने अदालत को वो टेप सुनाए जिसमें उनके भाई के ससुर केस हटाने के लिए उनसे 500,000 डॉलर की मांग कर रहे थे। इस विशेष मामले को लेकर बहस अभी भी जारी है.....

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना के विरुद्ध विधेयक, 2010

किसी काम को करने के बदले महिला कर्मी को जबर्दस्ती, डरा कर या धमकी देकर अपने साथ सेक्स व्यवहार के लिए विवश करना यौन प्रताड़ना कहा जाता है। आधुनिक कानून के संदर्भ में देखें तो यौन प्रताड़ना गैरकानूनी है। किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर प्रताड़ित करना कानून के विरुद्ध माना गया है। प्रताड़ना के अंतर्गत यौन उत्पीड़न, यौन संबंध के लिए आग्रह करना, विवश करना अथवा मौखिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शामिल है। इसकी प्रकृति केवल यौन संबंध से ही जुड़ी नहीं है बल्कि किसी के लिंग को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना भी इसमें शामिल है। उदाहरण के लिए– किसी महिला को उसके औरत होने के कारण अभद्र टिप्पणी करना गैरकानूनी है। इसके मुताबिक, भारत में महिला कर्मचारी अब राहत की सांस ले सकती हैं क्योंकि सम्मानजनक जीवन जीने के उनके अधिकार को अब कानूनी रूप से संरक्षित कर दिया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना से सुरक्षा विधेयक, 2010 को दिसम्बर, 2010 में संसद में लाया गया था। यह बिल औरतों को काम की जगह पर यौन प्रताड़ना से सुरक्षा दिलाता है चाहे वो निजी हो या सरकारी। यह बिल 13 अगस्त, 1997 को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में लाया गया जिसमें यौन प्रताड़ना को महिलाओं के सुरक्षित स्थान पर कार्य करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया। इसके तहत प्रत्येक सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में यौन प्रताड़ना के मामलों की सुनवाई के लिए एक शिकायत समिति गठित करने का आदेश भी दिया गया (विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''लैंगिक समानता में यौन प्रताड़ना से सुरक्षा तथा सम्मान के साथ काम करने का अधिकार शामिल हैं जो पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार हैं।''

हालांकि यहां कुछ ऐसी भी पीड़िताएं हैं जिन्होंने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए सशक्तीकरण के नए प्रतिमान गढ़े हैं और अपने बॉस तथा पुरुष कर्मचारियों/सहकर्मियों पर यौन प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना के कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें पुरुष कर्मचारियों ने अपनी महिला बॉस अथवा सहकर्मी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। लेकिन ऐसे मामले ज्यादातर सामने नहीं आ पाते हैं और बहुधा इनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई जाती है। इस संदर्भ में जब पुरुषों के संगठनों को स्टैंडिंग कमिटी के सामने बुलाया गया तो उन्होंने दलील दी कि डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन तथा पुर्तगाल में लैंगिक तौर पर निष्पक्ष कानून को अपनाया गया है। नीदरलैंड ने तो यहां तक कहा कि चूंकि शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है इसलिए पुरुषों की यौन प्रताड़ना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत में पुरुषों के संगठन का मानना था कि प्रस्तावित कानून में उनकी उपेक्षा की गई है और यह महिलाओं के मामले में पक्षपाती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पुरुष भी कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना के शिकार हो सकते हैं, स्टैंडिंग कमिटी ने सरकार से सिफारिश की है कि बिल में ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जिनसे पुरुषों के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना के मामलों को भी सुलझाया जा सके। कमिटी ने कहा, ''सभी संबंधित पक्षों को ध्यान में रखते हुए, समिति यह महसूस करती है कि बिल में ऐसे प्रावधान हों जिनसे कार्यस्थल पर पुरुषों के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना को सुलझाया जा सके, तथा वैकल्पिक तौर पर नियोक्ता अथवा संस्थान उनकी यौन प्रताड़ना के मामलों को भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्थान दे सकें। इससे सही स्थिति को समझने में मदद मिल सकती है।''

निष्कर्ष

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रामायण में अगर एक सीता थी तो वहीं मंथरा, कैकेयी और शूर्पनखा जैसी महिलाएं भी थीं। समय और संदर्भ भले ही बदल गए हों लेकिन रावण के साथ–साथ मंथरा, कैकेयी और शूर्पनखाएं आज भी मौजूद हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शीर्ष पदों पर बैठे नौकरशाहों तथा दूसरे पुरुष अधिकारियों ने अपनी 'प्रताड़ित' पत्नियों तथा महिला सहकर्मियों से अपनी शांति और चैन को 'खरीदा' है, सिर्फ इसलिए कि वे अपनी सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को बनाए रख सकें और इन सबसे बढ़कर अपमानित करने वाली पुलिसिया कार्रवाई तथा अदालतों के चक्कर काटने से बच सकें। कई कारणों से आज भी देश की न्याय व्यवस्था पीड़ितों को समय से न्याय दिला पाने में सक्षम नहीं हो पाई है। ऐसे में जरूरी है कि इस समस्या की उचित तरीके से जांच की जाए ताकि कोई भी किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं कर सके।

महिला सशक्तीकरण और उच्च शिक्षा

शुरुआत के चार दशकों तक देश में उच्च शिक्षा के लगभग निःशुल्क होने के बाद भी महिलाओं की वहां तक पहुंच बहुत मुश्किल थी। सामाजिक और आर्थिक कारणों से वंचित समुदायों को शिक्षा से दूर रखा गया और महिलाएं उस समुदाय का प्रमुख हिस्सा रहीं।

2001 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति में लड़कियों और महिलाओं को समान शिक्षा प्रदान करने का वादा किया गया था। इसमें कहा गया कि ''भेदभाव को मिटाने, शिक्षा का वैश्वीकरण करने, अशिक्षा को मिटाने, जेंडर के प्रति संवेदनशील शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने, लड़कियों के नामांकन की दर को बढ़ाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाकर लड़कियों के व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाएंगे।'' उच्च शिक्षा में जेंडर भेदभाव को समाप्त करना राष्ट्रीय नीति के केन्द्र में होगा। साथ ही नीति के उद्देश्यों को तय समय में पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया। उच्च शिक्षा में महिलाओं के सशक्तीकरण की बात होती है तो तीन मुख्य बाधाएं सामने आती हैं: महिलाओं के प्रति समाज का रवैया जो फैसले लेने में उनकी भागीदारी को हतोत्साहित करता है। उच्च शिक्षा में उनके नामांकन की निम्न दर (हालांकि अब इसमें तेजी से बदलाव देखा जा रहा है) तथा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में जेंडर के आयामों का अभाव। लड़कियां और महिलाएं उच्च शिक्षा में तब तक अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाएंगी जब तक कि उपरोक्त बाधाओं को दूर नहीं कर लिया जाता है।

यूनेस्को/कॉमनवेल्थ सचिवालय के अध्ययन ''उच्च शिक्षा प्रबंधन में महिलाएं'' में बताया गया कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकने में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा तक उनकी सीमित पहुंच, नियुक्ति एवं प्रोन्नति में भेदभाव, परिवार और काम का दोहरा दवाब, परिवार का उनके प्रति रुख, नौकरी को लेकर पैदा की जाने वाली समस्याएं, सांस्कृतिक रुढ़िवादिता, पुरुषवादी सोच तथा प्रबंधन के उच्च पदों तक उन्हें पहुंचने से रोकने की प्रवृत्ति प्रमुख हैं।

प्रो. विभूति पटेल

(प्रोफेसर, एडवांस्ड सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई)

वर्तमान परिदृश्यः

उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता का संकेतक (जीपीआई) दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरू तथा चेन्नई में बहुत निम्न स्तर पर पाया गया जबकि भोपाल, लखनऊ, इंदौर और कोलकाता में जीपीआई का स्तर सकारात्मक स्तर पर था। शिक्षा के प्रावधानों तथा उनकी उपयोगिता में अंतर का विषय शोधकर्ताओं के लिए प्रिय विषय रहा है। शिक्षा पर बजट का विश्लेषण उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करने, योजना बनाने तथा प्रशासन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि देर से ही सही, शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन पर अब ध्यान दिया जाने लगा है। घटते संसाधनों और शिक्षा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ऐसा करना अब जरूरी लगने लगा है।

इस संदर्भ में उच्च शिक्षा की उच्चतम इकाई यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को होने वाले वित्तीय आवंटन में लैंगिक आयामों की समीक्षा किए जाने की पहल तारीफ के काबिल है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता दर को बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद भारत के योजना आयोग ने 12वीं योजना में महिलाओं की उच्च शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए यूजीसी के लिए आवंटन बढ़ाने का निर्णय लिया।

शुरुआत के चार दशकों तक देश में उच्च शिक्षा के लगभग निःशुल्क होने के बाद भी महिलाओं की वहां तक पहुंच बहुत मुश्किल थी। सामाजिक और आर्थिक कारणों से वंचित समुदायों को शिक्षा से दूर रखा गया और महिलाएं उस समुदाय का प्रमुख हिस्सा रहीं। इसके पीछे भी दो मुख्य कारण रहे–पहला, उच्च शिक्षा के ज्यादातर विषय और उनके पाठ्यक्रम 'पुरुषवादी' रहे जबकि दूसरा, लड़कियों को लेकर लंबे समय से चली आ रही वो सोच जो उनपर शिक्षा से संबंधित निवेश को यह कहकर रोकती है कि इसका फल लड़की के माता–पिता को

नहीं बल्कि उसके पति के परिवार वालों को मिलेगा।

उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने वाली नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों ने महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को और कठिन बना दिया है। लेकिन सच तो ये है कि मानव विकास दृष्टिकोण तथा मानव पूंजी निर्माण दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टियों से महिलाओं की शिक्षा में निवेश करना समाज तथा अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हितकारी है।

शिक्षा के अर्थशास्त्र में जेंडर पर ध्यान देना समय की जरूरत है क्योंकि ये देखा गया है कि निजीकरण की दौड़ में, जब वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन की बात आती है तो माता–पिता बेटों की शिक्षा पर खर्च को बेटियों की तुलना में ज्यादा तरजीह देते हैं और ऐसे में लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है।

नैक के अध्ययन में बताया गया है कि सुधारवादी काल के उपरांत उच्च शिक्षा के सामान्य विषयों (कला व वाणिज्य) में लड़कियों तथा इंजीनियरिंग, डॉक्टरी एवं विज्ञान तथा तकनीकी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लड़कों के नामांकन में तेजी आई। शिक्षा की जरूरत सभी को है। ये कोई विलासिता की चीज नहीं कि जो वहन कर सके वो पा ले। इसलिए भारत को ये समझना होगा कि जब तक शिक्षा की रीढ़ मजबूत नहीं होगी, तब तक इसकी अर्थव्यवस्था समय के मुताबिक खड़ी नहीं रह पाएगी। वर्तमान में देश में केवल 7 प्रतिशत युवतियां उच्च शिक्षा में नामांकन करा पाने में सक्षम हैं।

यूजीसी की पहलः

उच्च शिक्षा स्त्रियों को निर्णय लेने तथा संपूर्ण विकास के मार्ग पर चलने की शक्ति और विवेक प्रदान करती है। सबसे बढ़कर उच्च शिक्षा स्त्री को किसी भी कार्य को करने के लिए दक्षता प्रदान करती है। समान अवसर तथा समान व्यवहार द्वारा उच्च शिक्षा में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए यूजीसी ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में ठोस कदम उठाते हुए कुछ योजनाओं की शुरुआत की हैः डे–केयर सेंटर (5 लाख रुपए), महिला छात्रावास (1 करोड़), मूलभूत सुविधाएं (50 लाख), एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिलाओं की अत्यधिक संख्या वाले विश्वविद्यालय, महिला अध्ययन केन्द्र (25 लाख), पी.जी. एकल बच्चे के लिए इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति (2000 रुपए प्रतिमाह 20 महीने के लिए) तथा उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए दक्षता संवर्द्धन (519075 लाख)।

उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने, प्रोन्नति तथा नियुक्ति प्रक्रिया का पुनरावलोकन करने, सभी व्यवसायों को विधायी तथा आधारभूत सहयोग देने एवं निर्णय लेने वाली इकाइयों में स्त्रियों को जगह देने जैसे उपायों को अपनाकर महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग में बाधा बनने वाली सोच को बदलने की जरूरत है। साथ ही स्त्रियों की शिक्षा को लेकर मानसिकता को बदलने के लिए सरकारी स्तर पर भी स्पष्ट एवं प्रभावशाली नीतियां बनाई जानी चाहिए। राज्यों को औरतों के लिए सहयोगी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि परिवहन, क्रेश, छात्रावास, काउंसिलिंग तथा ब्रिज कोर्स इत्यादि।

आज की जरूरतः

जेंडर के प्रति संवेदनशील विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में लड़कियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उन्हें प्रोत्साहित करना होगा, उनमें आत्मविश्वास जगाना होगा तथा महिलाओं को आकर्षित करने वाली नौकरियों को सामने लाना होगा। सबसे बढ़कर, चूंकि विकास के सिद्धान्तों ने ये स्वीकार किया है कि जेंडर से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जेंडर के विभिन्न आयाम सबसे महत्वपूर्ण कुंजी हैं, इसलिए उच्च शिक्षा में इन्हें शामिल करना अनिवार्य होना चाहिए।

उच्च शिक्षा प्रशासन में महिलाओं की उपस्थिति को उनके कानूनी अधिकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता संवर्द्धन के लिए यूजीसी के कार्यक्रम को इस अनुभव के साथ शुरू किया गया था कि विश्वविद्यालय प्रणाली में महिला प्रबंधकों की घोर अनदेखी की जाती रही है। यूजीसी की इस पहल का मकसद प्रबंधन में महिलाओं की स्थिति को सुधारना है और इसके तहत देश भर में वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है।

निष्कर्ष

जरूरत इस बात की है कि राज्य गणित एवं विज्ञान विषयों में लड़कियों के लिए मजबूत आधार तैयार करे, शिक्षण के दूसरे स्तर पर ही विद्यार्थियों को कला और विज्ञान में से किसी एक को चुनने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करे तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर संस्थानों में बच्चों की देखभाल की सुविधाओं को प्रोत्साहन दे। ऐसी स्थिति में जब उच्च शिक्षा के लिए किसी अन्य देश में जाने की जरूरत हो, तो राज्य विवा. हित युवतियों के लिए विशेष आवंटन की व्यवस्था करे ताकि उसका पति भी साथ में जा सके। जेंडर संबंधी मुद्दों को औपचारिक तथा अनौपचारिक, दोनों ही तरीकों से सुलझाया जा सके। उच्च शिक्षा में निर्णय लेने की स्त्रियों की क्षमता को परखने तथा उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है ताकि उनकी आवाज को भी सुना जा सके।

सशक्त हथियार है शिक्षा

पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र एवं राज्य, दोनों स्तरों पर सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति की योजनाओं में खासा विस्तार हुआ है। इन योजनाओं में रोजगार, पेंशन, जनवितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं इत्यादि शामिल हैं। इन सबके बीच बिहार सरकार का एक मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि तथा विकास की उच्च दर को प्राप्त करना भी रहा है। विकास का कोई भी लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्रामीण आबादी को भी इसमें पूर्णरूपेण शामिल नहीं किया जाता है। हमारे देश में 7 लाख से अधिक गांव हैं जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सबसे बड़ी आबादी ही सबसे अधिक कमजोर स्थिति में है क्योंकि उनके सामने अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, कुपोषण और बेरोजगारी जैसी समस्याएं मौजूद हैं। यदि गांवों को सशक्त बनाना है तो उन्हें शिक्षा का अस्त्र थमाना होगा क्योंकि आखिरकार एक सशक्त समाज ही संसाधनों तथा विचारों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है।

डॉ ज्योति

(एम.डी.डी.एम. कॉलेज,
बी.आर.ए. बिहार
विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर)

शैक्षणिक विकास

बिहार की कुल साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत है जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 73.39 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 53.33 प्रतिशत है। राज्य में ग्रामीण साक्षरता की दर 43.9 प्रतिशत तक है। ग्रामीण इलाकों में पुरुष साक्षरता दर जहां 57.1 है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 29.6 प्रतिशत है। दूसरी ओर, शहरी साक्षरता दर पुरुषों में 79.9 है जबकि महिला साक्षरता दर 62.2 प्रतिशत है, कुल शहरी साक्षरता दर 71.9 प्रतिशत है जो पहले से कहीं बेहतर है। राजधानी पटना की साक्षरता दर सर्वाधिक 63.82 प्रतिशत है।

रोजगार प्रणाली

पिछले 30 वर्षों में बिहार का श्रम बाजार तेजी से और उल्लेखनीय ढंग से बदला है। एक अर्द्ध–सामंती व्यवस्था से, जिसमें श्रमिक कई प्रकार के बंधनों में बंधे हुए थे, बढ़कर एक अधिक स्वतंत्र बाजार बनने तक का बदलाव इसने देखा है जहां कुशल और अकुशल श्रमिक बेहतर अवसर की तलाश में दूसरे राज्यों तक का सफर तय कर रहे हैं। हालांकि जमीन पर बढ़ते दबाव के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग वैतनिक श्रम पर निर्भर हो रहे हैं। स्थानीय रोजगार अब भी सीमित हैं और स्थानीय बाजारों का विस्तार धीमी गति से हो रहा है। फिर भी, संगठनों तथा रोजगार के अवसरों का स्वरूप बदल रहा है जिससे श्रम की कमी लगातार बनी हुई है और एक नए प्रकार के संविदा पर आधारित रोजगार का उदय हो रहा है। कुल मिलाकर बिहार में श्रम बल सहभागिता की दर उच्च है जो पुरुषों के लिए 94 प्रतिशत तथा महिलाओं के मामले में 64 प्रतिशत तक है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, प्राथमिक शिक्षा के बाद से व्यावसायिक लाभ के मार्ग खुलने लगते हैं लेकिन मुख्य लाभ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही हो पाता है। आधुनिक रोजगार तथा सेवाओं में उच्च शिक्षा के बाद अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलने लगती हैं। शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद से बिहार के स्कूलों में भी नामांकन दर में वृद्धि हुई है लेकिन ताज्जुब की बात है कि इसके बावजूद बाल श्रम की दर में कमी नहीं हुई है।

महिला उद्यम

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उनमें महिला शिक्षा को सबसे शीर्ष पर रखा गया है और इस तथ्य को स्वीकार किया गया है महिलाओं को शिक्षित किए

बिना कोई भी देश पूर्णरूपेण विकसित नहीं हो सकता है। महिला साक्षरता के लिए जितनी भी योजनाएं अपनाई गई हैं उनसे बिहार में संतुलन स्थापित हुआ है और राज्य की आर्थिक उन्नति में सहायता मिली है।

राज्य में बालिका शिक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनमें निम्न शामिल हैं–

1. बालिका पोशाक योजना
2. हुनर योजना
3. औजार योजना
4. मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना
5. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना
6. मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना

बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत अब तक 25,781.83 लाख पोशाक वितरित किए जा चुके हैं जबकि 36,82,845 छात्राओं को इससे लाभ प्राप्त हो चुका है।

हुनर योजना के तहत 9232 अल्पसंख्यक छात्राओं को विभिन्न प्रकार के हुनर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

औजार योजना के जरिये उपकरण खरीदने के लिए 7684 लड़कियों को 2500 रुपये प्रति लड़की की दर से 230.80 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है।

2009–10 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2010–11 में 4,90,000 छात्राओं पर 2000 रुपये प्रति छात्रा के हिसाब से कुल 9800 लाख रुपये इस योजना के तहत खर्च किए गए।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने वाली हर छात्रा को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं।

राज्य सरकार वर्ष 2008–09 से ही प्रति वर्ष अपना जेंडर बजट भी प्रकाशित करवाती आ रही है। इससे पता चलता है कि लैंगिक तौर पर निष्पक्ष हर कल्याणकारी योजना के लाभावितों में कम से कम 30 प्रतिशत औरतें हैं। शिक्षा ने उन्हें अपने अधिकारों और क्षमताओं से अवगत करा दिया है। स्वयं सहायता समूहों का निर्माण इसके उदाहरण

हैं। 2009–10 में बिहार के 27 जिलों के 4819 गांवों, 1519 पंचायतों तथा 176 प्रखंडों में 16367 स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया गया तथा इनसे 15.19 करोड़ रुपये की बचत उत्पन्न की गई।

राज्य में 15 से 35 वर्ष की 40 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया।

बिहार सरकार द्वारा किए गए उपरोक्त प्रयासों के कारण साक्षरता की दर में बढ़ोतरी हुई है। विद्यालयों में बच्चियों के नामांकन की दर में 6.92 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है जिसमें से 8.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति जबकि 15.37 प्रतिशत लड़कियां अनुसूचित जनजाति से हैं।

STATUS OF WOMEN: ALL-INDIA VS BIHAR (%)

	MALE		FEMALE	
	ALL-INDIA	BIHAR	ALL-INDIA	BIHAR
Labour force participation rate*	82.7	78.5	33.1	9.0
Worker population ratio*	80.9	76.1	32.3	8.4
Casual labour-employment ratio	29.4	40.9	31.2	49.1
Agriculture worker ratio	43.6	61.4	62.8	72.5
Literacy rate-2011	82.14	73.39	65.46	53.33
Literacy rate-2001	75.26	59.68	53.67	33.12

** 15-59 years age-group according to 'usual' status of principal and subsidiary economic activity.*

लड़कियां स्कूलों से अब भी दूर क्यों?

● दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खदर में रहने वाली मीना (काल्पनिक नाम) ने अपने माता–पिता को यह नहीं बताया कि घर से स्कूल जाने के दौरान एक घंटे के रास्ते में बड़े लड़के उसे छेड़ते हैं, जबर्दस्ती उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फब्तियां कसते हैं। मीना को पता है कि अगर वो अपने माता–पिता से ये बात कहेगी तो वो लोग उसपर ही आरोप लगाएंगे और उसका स्कूल जाना भी बंद करा देंगे। और ऐसा ही हुआ–मीना के माता–पिता ने उसपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी वजह से उनके 'सम्मान' को ठेस पहुंची है और उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद करा दिया। अब वो उसकी शादी की योजना बना रहे हैं।

.....

● 16 साल की गुलफशां मीना से अधिक भाग्यशाली है। उसकी मां चाहती हैं कि गुलफशां खूब पढ़े और बड़ी होकर डॉक्टर बने। उसकी कक्षा में 70 बच्चे हैं लेकिन शिक्षक अकसर नहीं आते हैं। पीने के पानी की टंकी इतनी गंदी है कि बच्चों को अपना पानी खुद लेकर आना पड़ता है। गुलफशां कहती है कि इतने सालों में वो कभी स्कूल के शौचालय में नहीं गई क्योंकि वो बुरी तरह से गंदे होते हैं।

.....

● 35 साल की सुमन अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। वो अपने नौ साल के दिव्यांग बेटे का स्कूल में दाखिला कराने के लिए कई सालों से चक्कर काट रही है लेकिन उसका दाखिला नहीं हो पा रहा है। उसे दुख है कि यदि वो खुद पढ़ी–लिखी रहती तो अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ा पाती।

.....

चार साल पहले, विश्व बैंक ने भारत को 'गरीब' देश की श्रेणी से उठाकर मध्य आय वाले देश

रशेल विलियम्स

दि गार्डियन

की श्रेणी में डाल दिया है। ब्रिटेन ने 2015 से भारत को मदद देना बंद करने की घोषणा की थी क्योंकि उसका मानना था कि भारत के पास अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसके पास 48 अरबपति हैं और अपना विशाल बजट है। 2009 से लागू शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत देश में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई है और ताजे आंकड़े बताते हैं कि देश के स्कूलों में निबंधन की दर 98 प्रतिशत तक है। लेकिन बच्चों का निबंधन कराकर लक्ष्य पूरा कर देने की जल्दबाजी एक बात है जबकि शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखना दूसरी बात है। देश के अधिसंख्य सरक. ारी स्कूलों में कमरों का अभाव, शिक्षकों की कमी, पीने के पानी तथा शौचालयों का न होना आम समस्या है जिससे अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने में कोई लाभ नजर नहीं आता और वे उन्हें घर बिठा देते हैं।

2010 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि शिक्षा के अधिकार को भलीभांति लागू करने के लिए 1.2 मिलियन अतिरिक्त शिक्षकों की जरूरत होगी। गैर सरकारी संगठनों के एक फोरम ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिनियम के तहत बताई गई मौलिक सुविधाएं देश के केवल 5 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही मौजूद हैं। 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में 30 से अधिक विद्यार्थी हैं जबकि 60 प्रतिशत के पास बिजली की सुविधा नहीं है। इसके अलावा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 21 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं।

ऑक्सफेम इंडिया की एंजेला तनेजा कहती हैं, ''अगर आप बाल श्रम को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना ही होगा। लोग जानते हैं कि शिक्षा क्या है। स्कूलों में केवल नामांकन दर्शा देने से ही शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर सामने नहीं आ जाती।'' 2008 में प्राथमिक स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 2. 3 मिलियन बताई गई थी जबकि वास्तव में इनकी संख्या 8 मिलियन से अधिक हो सकती है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 2009 में प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट की दर 25 प्रतिशत थी। सबसे पहले स्कूल छोड़ने वालों में लड़कियां तथा गरीब तबके के बच्चे होते हैं। आम तौर पर प्राथमिक स्तर पर नामांकन कराने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर ही होती है, स्थिति तब बिगड़ती है जब लड़कियां बड़ी कक्षाओं में पहुंचती हैं और उन पर घर का काम करने या विवाह करने का दवाब डाला जाने लगता है। नतीजतन वे स्कूल छोड़ देती हैं। 2008 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में 62 प्रतिशत लड़कियां थीं। इसके अलावा दो–तिहाई संख्या उन बच्चों की थी जो गरीब तबके के, निम्न जाति के, आदिवासी अथवा मुस्लिम थे।

तनेजा कहती हैं कि सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से मोहल्लों में ऐसे कई निजी स्कूल खुल गए हैं जो कम आय वाले परिवारों को बच्चों को शिक्षित करने का सपना दिखाकर उनका शोषण करते हैं। इन स्कूलों के पास भी न तो आधारभूत संरचना होती है और न ही प्रशिक्षित शिक्षक। 26 गैर सरकारी संगठनों तथा शिक्षण संघों के गठबंधन ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन (जीसीई) ने सभी देशों से अपील की थी कि वे अपनी जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करें। भारत 1968 से ही ऐसा करने का वादा करता आया है लेकिन यहां यह कभी भी 4 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाया। एंजेला का मानना है कि यहां मामला पैसे की कमी से अधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का है। शिक्षा वोट जिताने का मुद्दा कभी नहीं बन पाई।

(दि गार्डियन.कॉम में प्रकाशित आलेख का अंश तथा हिन्दी अनुवाद)

ग्रामीण बिहार में महिला शिक्षा

किशोर भट्टाचार्जी

(असिस्टेंट प्रोफेसर,
एमिटी यूनिवर्सिटी,
पटना)

पिछले दशक में शिक्षा के मामले में बिहार ने अप्रतिम गति दिखाई। शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार ने सुविधाओं को बढ़ाने के जो प्रयास किए उनके अच्छे नतीजे सामने आए। 2001–2011 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर (20 प्वायंट) देश के किसी भी दूसरे राज्य में उस दौरान की साक्षरता दर से अधिक रही। ये ठीक है कि देश में साक्षरता की दर बढ़ रही है लेकिन किसी शिक्षित समाज का स्वरूप पाने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है। दूसरी ओर, बिहार में महिला शिक्षा की दर ग्रामीण और शहरी इलाकों के आधार पर भी तय होती है (शहरों में महिला साक्षरता दर जहां 72.6 प्रतिशत है वहीं गांवों में यह 49.6 प्रतिशत ही है)। साथ ही स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में भी काफी अंतर है।

सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा हमेशा से ही आधारभूत आवश्यकता रही है और 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा अनिवार्य शर्त होगी। अपने समाज में हम जितनी समस्याओं को देखते हैं, सभी एक–दूसरे से जुड़ी हैं। शिक्षा और साक्षरता की कमी सभी समस्याओं की जननी है जो गरीबी, बेरोजगारी, बालश्रम और जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याओं को जन्म देती है। बालिका शिक्षा न केवल सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन को भी बल देती है। शिक्षा का स्तर किसी भी समाज के विकास का मापक है ऐसे में महिलाओं को बाहर नहीं रख सकते क्योंकि विकास के मार्ग में वे भी हमसफर हैं।

बिहार में महिला साक्षरता

ये सच है कि राज्य के गांवों में स्कूल जाने वाली बच्चियों की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन ग्रामीण बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक अध्ययन में बताया गया कि पिछले एक दशक में बिहार की जनसंख्या में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। यह दर सावधान करने वाली है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो विकास के सारे प्रयासों और जीडीपी में वृद्धि का कोई लाभ नहीं होगा। जनसंख्या को स्थिर रखने में शिक्षा अहम भूमिका निभा सकती है। पिछले दशक में बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में साक्षरता की दर 2001 के 47 प्रतिशत के मुकाबले 2011 में 61.8 प्रतिशत जबकि 2105 में 63.82 प्रतिशत रही। ड्रॉप आउट करने

साक्षरता : 10 जरूरी तथ्य

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है लेकिन अपने उद्देश्यों को पाने में यह अब भी कोसों दूर है। यहां कुछ ऐसे तथ्य दिए जा रहे हैं जो देश में साक्षरता की स्थिति के बारे में बताते हैं:

1. भारत विश्व में सबसे अधिक निरक्षर वयस्कों का घर है–287 मिलियन, पूरे विश्व का 37 प्रतिशत।

2. देश में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में 47.78 प्रतिशत लड़कियां हैं। अगली जनगणना में इनकी गणना निरक्षर औरतों में होंगी और इसका बुरा असर उनके बच्चों की शिक्षा पर होगा।

3. दलितों की साक्षरता के मामले में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल हैं।

4. ब्रिटिश राज समाप्त होने के बाद से देश में साक्षरता दर में छह गुणा तक की वृद्धि हुई है–12 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 74 प्रतिशत। फिर भी भारत में दुनिया की सबसे बड़ी निरक्षर आबादी बसती है।

5. 2011 तक बिहार में दलित महिलाओं की साक्षरता दर 38.5 प्रतिशत है। यह आंकड़ा देश के विकास की दर से काफी दूर है। यह अब भी 30 साल पहले यानी 1981 की राष्ट्रीय साक्षरता दर 43.7 प्रतिशत से कम है।

6. भारत में अब भी 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं।

7. देश के 92 प्रतिशत स्कूलों में अब भी पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हो सका है।

8. महिला साक्षरता दर में विश्व के 135 देशों की सूची में भारत का स्थान 123वां है।

9. दक्षिण एशिया प्रक्षेत्र में, स्त्री–पुरुष अनुपात के मामले में भारत का स्थान श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद चौथा है। श्रीलंका में यह 0.97 तथा बांग्लादेश में 0.85 है।

10. स्कूल शिक्षिकाओं के तौर पर महिलाओं की संख्या 1991 के 29.3 प्रतिशत से बढ़कर 2013–14 में 47.16 प्रतिशत हो चुकी है।

श्रोतः ऑक्सफेम इंडिया

वाले बच्चों और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आई।

ग्रामीण बिहार में महिला साक्षरता के मार्ग की चुनौतियां एवं समस्याएं: इस सच्चाई के बावजूद कि ग्रामीण औरतों का बहुत बड़ा योगदान कृषि, अर्थव्यवस्था तथा समाज की बेतहरी में रहता है, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच जैसी समस्याएं उनके सामने मौजूद रहती हैं। गांवों में औरतें आसानी से स्वास्थ्य सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनकी आय कम होती है और उनके पास जमीन तथा अन्य प्रकार की संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के पास रोजगार की सुरक्षा भी नहीं होती है। इन सभी समस्याओं के पीछे एक ही कारण है और वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को भी शिक्षा के जरिये बहुत हद तक दूर किया जा सकता है।

यहां गांवों में महिला साक्षरता की दर कम होने के कुछ कारणों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है:

1. स्कूलों में लड़कियों के लिए खराब व्यवस्था – बिहार के गांवों में जो स्कूल हैं उनका माहौल ऐसा नहीं है जो लड़कियों को स्कूल तक आने और वहां ठहरने के लिए प्रेरित कर सके। ज्यादातर स्कूलों में पीने के पानी, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, कमरों और शिक्षिकाओं की कमी है जिसके कारण लड़कियों की संख्या वहां बहुत कम हो गई है। महिला शिक्षकों के न होने के कारण माता–पिता अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं।

2. पारिवारिक दायित्वों के कारण नामांकन कम – गांवों में लड़कियों की पढ़ाई जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनपर परिवार को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही कारण है कि लड़कियों का नामांकन तो बड़ी संख्या में होता है लेकिन सभी लड़कियां पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं। उन्हें घर संभालने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है। विशेषकर निम्न जाति की लड़कियों पर परिवार का खर्च चलाने के लिए काम सीखने का बोझ रहता है और वे अकसर घरों में दाई या नौकरानी के कामों में लग जाती हैं।

3. दहेज प्रथा – हमारे देश में दहेज देने और लेने को एक बड़े सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता है, लेकिन फिर भी इसे कोई खत्म नहीं कर सका है। बिहार में भी यह बुराई अपने हर रूप में मौजूद है। लड़कियों के पैदा होने के बाद से ही उनके माता–पिता पर बेटी के दहेज के लिए राशि, सामान, संपत्ति और गहने जमा करने की चिंता सवार हो जाती है। ऐसे में उन्हें स्कूल भेजकर उन पर अतिरिक्त व्यय करना कोई नहीं चाहता है। इसके अलावा बेटी के लिए घर के काम सीखना और घर संभालने की कला जानना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है।

4. बाल विवाह – दुर्भाग्यवश बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। जब लड़कियों की शादी 18 साल से पहले और लड़कों की शादी 21 साल से पहले करा दी जाती है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। कम उम्र में शादी करा दिए जाने की वजह से लड़कियों का स्कूल छूट जाता है और वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। अशिक्षा और बाल विवाह का बड़ा नाता है। बड़े होकर ये दंपति भी शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाते और फिर अपने बच्चों की शादी कम उम्र में करने को प्रेरित हो जाते हैं।

5. बेटों की पढ़ाई को अधिक तरजीह देना– ज्यादातर माता–पिता बेटों की शिक्षा पर खर्च करने को दीर्घकालीन निवेश समझते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बाद में बेटे ही उनकी देखभाल करेंगे। दूसरी ओर, बेटियों को पढ़ाना–लिखाना उन्हें फिजूलखर्च लगता है क्योंकि इससे अंततः उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेटियां शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं और तब उनकी शिक्षा पर किया गया खर्च बर्बाद हो जाता है।

6. गरीबी– ग्रामीण बिहार में अशिक्षा के कारणों में गरीबी अकेली सबसे बड़ी वजह है। लगभग हर गांव में औरतें आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और उनपर पुरुषों के समान ही काम करके पैसे कमाने का बड़ा दबाव होता है। गरीबी पूरी दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सेक्स गुलाम गरीबी की ही देन हैं। गरीब और निरक्षर परिवारों की छोटी बच्चियां इसकी सबसे आसान शिकार होती हैं।

बालिका शिक्षा के लाभ और इसके न होने के नुकसान को देखते हुए सरकार, गैरसरकारी संगठन और अन्य संस्थाओं ने उन्हें शिक्षा दिलाने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं। महिलाओं को वित्तीय प्रोत्साहन, अनौपचारिक प्रशिक्षण देने तथा सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं। बिहार सरकार ने भी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. सर्वशिक्षा अभियान

इस कार्यक्रम को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर शुरू किया गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है।

2. बालिका पोशाक योजना

माध्यमिक स्कूल की छात्राओं को पोशाक देने की योजना है। इसके तहत कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को दो पोशाक खरीदने के लिए 700 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।

3. मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना

इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में दाखिला लेने के बाद प्रत्येक छात्रा को एक साइकिल निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके तहत 2000 रुपए प्रत्येक छात्रा के खाते में डाल दी जाती है ताकि वो एक दिए गए समय में साइकिल की खरीद कर सके।

4. मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना

वयस्क महिलाओं को साक्षर बनाने के अभियान के तहत इस योजना को 2009 में आरंभ किया गया था। राज्य में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले।

सिर्फ साक्षर होना ही काफी नहीं

कमी कौशल की

- व्यावसायिक शिक्षा के अभाव में पीछे धकेली जा रहीं लड़कियां
- पारंपरिक शिक्षा से नहीं हो रहा लाभ, नौकरी में नहीं मिलती जगह

1. देश में इस समय महिला आईटीआई तथा सामान्य आईटीआई में महिला विंग की कुल संख्या 1213 है। 2005 में आईटीआई में महिलाओं के लिए शिल्पकारों के प्रशिक्षण में आरक्षण को 25 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया।
2. वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम के जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 101वां है जबकि अर्थव्यवस्था में भागीदारी तथा अवसरों के मामले में यह 136 देशों की सूची में 124वें स्थान पर है। इसके अलावा शहरी व ग्रामीण, दोनों इलाकों में श्रमबल में स्त्रियों की भागीदारी घटी है।
3. कौशल और श्रम बाजार में विसंगति एक बड़ा कारक है जो युवा लड़के–लड़कियों को स्थायी रोजगार की

दीपिका झा

लैंगिक समानता शिक्षा के अधिकार के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। जाहिर है कि इसे संपूर्ण रूप से तभी प्राप्त किया जा सकता है जब स्त्री और पुरुष, दोनों की शिक्षा तक पहुंच आसान और एक समान रूप से हो, तथा साथ ही शिक्षा के माध्यम से उनका सशक्तीकरण भी एक समान हो। दुनिया भर के अलग–अलग देशों में स्त्री शिक्षा को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं उन्हें पंख दे रहा है यूनेस्को का सहयोग और उसकी दूर दृष्टि। लड़कियों और महिलाओं को पारंपरिक शिक्षा से जोड़ने के साथ–साथ यूनेस्को का एक बड़ा लक्ष्य उन्हें ऐसी शिक्षा से भी संबद्ध करना है जो अंतिम रूप से उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर सशक्त बना सके। इस उद्देश्य को पूरा करने तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए यह संगठन टेक्नीकल एंड वोकेशनल एजुकेशन (टीवीई) (1974) की संशोधित अनुशंसाओं तथा कन्वेंशन ऑन टेक्नीकल एंड वोकेशनल एजुकेशन (1989) को अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करता है।

शिक्षा में गुणवत्ता की कमी ने लड़कियों और महिलाओं को अवसरों का लाभ प्राप्त करने की दिशा में मीलों पीछे छोड़ दिया है। पहले से ही पारंपरिक शिक्षा के लिए तरस रही लड़कियों के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करना किसी दुसाध्य स्वप्न से कम नहीं है। कौशलयुक्त तकनीकी शिक्षा से लैस नहीं होने का नुकसान उन्हें रोजगार के स्तर पर तो उठाना ही पड़ता है, साथ ही सामाजिक तथा पारिवारिक स्तर पर भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त लड़कों की तुलना में उन्हें उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है। यूनेस्को के प्रयासों ने दर्शाया कि इस स्तर पर लड़कियों और महिलाओं की हो रही अवहेलना को समाप्त करने की जरूरत है।

चुनौतियां

21वीं सदी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक महिलाओं और लड़कियों की पहुंच सुनिश्चित कराने में

तलाश करने से रोकती है। बेरोजगारी की बढ़ती दर तथा विश्व स्तर पर बढ़ती प्रतियोगिता इस बात की जरूरत पर बल देती है कि श्रमबल को और अधिक शिक्षित तथा कुशल होना होगा। शिक्षा की खराब गुणवत्ता से पढ़े–लिखे युवा भी रोजगार की वैश्विक जरूरतों के सामने टिक नहीं पाते हैं। इस पूरी व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में लड़कियां और युवा स्त्रियां हैं।

4. वर्तमान में असंगठित क्षेत्रों में जहां महिला कामगारों के लिए श्रम कानून लागू हैं, वहां पूरा ध्यान महिलाओं के हित में कल्याणकारी योजना बनाने पर है जिसके कारण उनके अधिकारों को लेकर होने वाले प्रयासों की अनदेखी कर दी जाती है।

5. लगभग सभी क्षेत्रों और रोजगार के अवसरों में महिलाओं के कामों का अवमूल्यन किया जाता है और इसे प्रत्यक्ष रूप से महिला और पुरुष कामगारों के वेतन में अंतर के माध्यम से देखा जा सकता है। लगभग सभी प्रकार के श्रम में महिलाओं को उनके समकक्ष पुरुष कामगारों की तुलना में 50 से 75 प्रतिशत तक कम वेतन दिया जाता है। ऐसा तब है जब भारतीय संविधान ने सभी कामगारों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार दिया है, बिना किसी लिंग, जाति या धर्म के भेदभाव के। महिलाओं का कम शिक्षित होना तथा उनके पास किसी तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण का अभाव होना भी इसकी एक सबसे बड़ी वजह है।

6. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी औरतों के लिए घर से निकलकर बाहर काम करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। रोजगार की तलाश करने, उसे पाने और उसमें स्वयं को बनाए रखने के लिए औरतों को मर्दों की तुलना में कहीं ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निजीकरण की नीति ने कंपनियों में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर दिया है जिसके कारण सरकार की कई नीतियों और योजनाओं का लाभ महिला कामगारों को नहीं मिल पाता है।

जो चुनौतियां मुख्य तौर पर सामने आ रही हैं, उनमें निम्न को शामिल किया जा सकता है:

– ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना।

– शैक्षणिक योजनाओं, अभिभावकों, समाज और नियोक्ताओं की सोच में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर करना।

– तकनीकी शिक्षा प्राप्त लड़कियों, महिलाओं को रोजगार देना।

– उपरोक्त चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक है कि उस स्थान की सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विविधताओं को ध्यान में रखा जाए।

–सबके अतिरिक्त गरीबी तथा उपेक्षा की स्थिति पर भी गौर करने की जरूरत है।

रणनीति

– विकेन्द्रीकृत तथा गैर संबद्ध शिक्षा योजना

– ग्रामीण लड़कियों को अनौपचारिक तथा तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाना

–लड़कियों और उनके माता–पिता के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील योजना बनाना, पाठ्यक्रम तैयार करना तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक दिशा–निर्देश प्रदान करना

–कामकाजी महिलाओं को सहयोग देने के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील संरचना का निर्माण करना तथा पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री का समय–समय पर पुनरावलोकन करना।

अध्ययनों से ये पता चलता है कि अशिक्षित महिलाएं आर्थिक विकास को बाधित करती हैं और सामाजिक असमानता को बढ़ाती हैं। ज्यादातर विकासशील देशों में स्त्री शिक्षा का प्रतिफल पुरुष शिक्षा की तुलना में कहीं ज्यादा है। यह प्रतिफल सार्वजनिक आधारभूत संरचना में किए गए व्यय से प्राप्त प्रतिफल से भी अधिक है। महिला शिक्षा से श्रमबल में उनकी सहभागिता बढ़ती है, उनकी प्रजनन क्षमता घटती है तथा बच्चों और माताओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है, उन्हें पूरा पोषण प्राप्त होता है।

पढ़ी–लिखी माताएं अपने बच्चों की सेहत और शिक्षा को लेकर बेहतर माहौल का निर्माण कर सकती हैं। केवल उच्च आय प्राप्त कर लेने से ही ये सब संभव नहीं होता बल्कि इसके लिए घर की स्त्रियों का शिक्षित होना भी अनिवार्य है। इसके विपरीत यदि महिलाएं अशिक्षित हों, तो पूरा चक्र उल्टा चलने लगता है। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर माहौल पैदा नहीं कर पाती हैं, जिससे आगे चलकर वे खुद अपने लिए बेहतर रोजगार या अवसर की तलाश नहीं कर पाते और अंततः इन सबका नुकसान देश को आर्थिक और संसाधन की क्षति के तौर पर उठाना पड़ता है। अगर देखा जाय तो लड़कियों को पढ़ाने पर जितना खर्च आता है वो बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक लाभों की तुलना में कुछ भी नहीं होता। भारत में ज्यादातर निवेश उच्च शिक्षा पर किया जाता है और प्राथमिक व माध्यमिक

शिक्षा की प्रायः अवहेलना कर दी जाती है, जबकि एक बड़ी आबादी शिक्षा के इसी स्तर से लाभान्वित होती है। हालांकि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर देश ने शिक्षा व रोजगार के स्तर पर मौजूद लैंगिक भेदभाव तथा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की भरसक कोशिश की है।

शिक्षित भारत बनने की दिशा में एक बड़ी बाधा शिक्षकों की कमी है, और जब बात लड़कियों और स्त्रियों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकी शिक्षा की हो, तो स्थिति और विकट हो जाती है। 1999 में मूलभूत शिक्षा को लेकर आई एक रिपोर्ट (PROBE) में बताया गया कि कुल नियुक्त शिक्षकों में से केवल आधे ही वास्तव में बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि 4 से 5 साल तक लगातार पढ़ाई करते रहने के बाद भी जब वे कुछ सीख नहीं पाते हैं तो माता–पिता उन्हें वापस घर बुला लेते हैं। लड़कियों के मामले में तो ये और भी जटिल हो जाता है क्योंकि कई सारी सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं को पार करने के बाद जब वे स्कूल पहुंचती हैं और वहां भी शिक्षक उन्हें पढ़ाते नहीं हैं तो उनके अभिभावक निराश हो जाते हैं और वे अपनी बच्चियों को स्कूल से हटा देते हैं।

भारत में शिक्षकों को अच्छी तनख्वाह मिलती है और वे संगठित भी हैं, लेकिन उनका चयन ज्यादातर राजनीतिक तथा जाति के आधार पर होता है जिसमें उनकी पढ़ाने की योग्यता को स्थान नहीं दिया जाता है। देश के कई हिस्सों में शिक्षकों की भारी कमी भी है जिसके कारण एक ही शिक्षक को कई कक्षाएं लेनी पड़ती है और हर कक्षा में 40 से 50 विद्यार्थी तक होते हैं। ऐसे में शिक्षकों का झुंझला जाना या अपने दायित्व के निर्वहन में शिथिल हो जाना लाजिमी है। यदि वाकई देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना है और पढ़ाई–लिखाई में बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाना है तो शिक्षकों की संख्या और उनके स्तर को सुधारना सबसे अधिक जरूरी काम होना चाहिए।

गरीबी मिटा सकती हैं पढ़ी–लिखी बेटियां

देश के स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाया–लिखाया जा रहा है, उसके स्तर में गिरावट आना चिंता का विषय है। शिक्षा के स्तर को लेकर 2016 में आई वार्षिक रिपोर्ट (असर) में इस गिरावट को दर्शाते हुए कहा गया कि इस समय सरकारें पूरा जोर बच्चों को स्कूल तक लाने में लगा रही हैं लेकिन इस क्रम में उनका ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर से हट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के स्कूलों में बच्चों के नामांकन की दर 97 प्रतिशत तक है जो भारत को दुनिया में रिकॉर्ड बनाने में सहायता जरूर कर सकता है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उसके लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि 589 ग्रामीण जिलों में कराए गए सर्वे के नतीजे कहते हैं कि कक्षा पांच के 48.1 प्रतिशत बच्चों का गणित और अंग्रेजी कक्षा दो के स्तर का है और वे उससे आगे के स्तर का पाठ नहीं पढ़ पाते हैं।

उपरोक्त तथ्य प्रत्यक्ष तौर पर तो देश में शिक्षा की खराब गुणवत्ता को बताते हैं लेकिन परोक्ष रूप से ये अच्छी शिक्षा पाने के बच्चों के अधिकार के खुलेआम उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं। कारण कई हो सकते हैं लेकिन प्रभावित होते हैं सिर्फ बच्चे। उनमें भी लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में हैं क्योंकि वे कई प्रकार की सामा. जिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक बाधाओं को पार कर स्कूल पहुंचती हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए योजनाएं और कानून बनाने वाली सरकारों को यह बात समझनी होगी कि जब तक लड़कियों की पहुंच गुणवत्तापूर्ण तथा कौशलयुक्त शिक्षा तक नहीं होगी, तब तक उन्हें सशक्त देखने

का सपना पूरा नहीं होगा। किसी भी राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य स्त्री और पुरुष दोनों को समान गुणवत्ता तथा स्तर की शिक्षा प्रदान करने से ही पूरा किया जा सकता है। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर निवेश करके दुनिया का कोई भी देश गरीबी से मुक्ति पा सकता है। कौशलयुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लड़कियों के सशक्तीकरण के साथ–साथ देश की आर्थिक तरक्की का आधार मानते हुए विश्व बैंक ने भी कहा है कि बेहतर शिक्षा से लैस महिला न केवल अपने लिए उज्ज्वल भविष्य कर निर्माण करती है बल्कि वो अपने पूरे परिवार को भी गरीबी से निकाल लेती है। विश्व बैंक मानता है कि अभी भी दुनिया भर में औरतें खुद को घरेलू महिला की छवि से निकाल नहीं पाई हैं और इसकी एक वजह उनके पास तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा का नहीं होना है। इस कमी को दूर करने के लिए उसने कुछ प्रयासों के बारे में बताया है जो लड़कियों तथा युवा स्त्रियों को गुणवत्तापूर्ण तथा कौशलयुक्त शिक्षा तक लाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं:

- सशर्त नकद भत्ता, छात्रवृत्ति इत्यादि।
- स्कूलों की दूरी कम करना
- सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रथाओं को लेकर होने वाली चर्चाओं में लड़कों तथा पुरुषों को भी हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- जेंडर के प्रति संवेदनशील पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री का निर्माण करना
- उपयुक्त एवं योग्य महिला शिक्षकों की बहाली तथा उन्हें प्रशिक्षण देना
- लड़कियों एवं युवतियों की शिक्षा के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना
- बाल विवाह को समाप्त करना, तथा
- लड़कियों एवं महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना।

अर्थव्यवस्था

महिला शिक्षा और आर्थिक विकास

जिन राज्यों में लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने के वर्ष में वृद्धि हुई उनमें विकास की दर भी बढ़ती रही, जैसे कि केरल। दूसरी ओर, बिहार, जहां महिला शिक्षा की दर बहुत कम है, आज भी पिछड़ेपन की चपेट में है।

एक चीनी कहावत है ''अगर आप कुछ सालों के लिए योजना बनाते हैं तो पैसे कमाएं, अगर दस सालों के लिए योजना बनाते हैं तो पेड़ लगाएं लेकिन यदि आप सौ सालों के लिए योजना बनाना चाहते हैं तो महिलाओं को शिक्षित करें।''

ये एक सिद्ध तथ्य है कि शिक्षा विकास का मार्ग खोलती है और यह महिला सशक्तीकरण तथा उच्च विकास दर की कुंजी है, लेकिन विकासशील देश, खासकर दक्षिण एशियाई देश आज भी सामान्य और महिला शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने से कोसों दूर हैं। यूएनडीपी के 2015 के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि दक्षिण एशिया के जिन देशों में साक्षरता दर अधिक रही वहां गरीबी की दर कम है जबकि जहां साक्षरता दर कम रही वहां गरीबी की दर अधिक है।

भारत के मामले में, ये देखा गया है कि जिन राज्यों में लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने के वर्ष में वृद्धि हुई उनमें विकास की दर भी बढ़ती रही, जैसे कि केरल। दूसरी ओर, बिहार, जहां महिला शिक्षा की दर बहुत कम है, आज भी पिछड़ेपन की चपेट में है। अध्ययनों में ये भी साबित हो चुका है कि महिला शिक्षा और परिवार नियोजन के बीच सकारात्मक संबंध है, यानी अगर महिला शिक्षित हो तो आबादी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि लड़कियों को पढ़ाना किसी भी क्षेत्र के विकास का सूचक है।

रिपुदमन सिंह

(असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़)

संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक 'गरीब आबादी' के अंतर्गत उस आबादी को शामिल करते हैं ''जिसके पास पीने का पानी और उपचारात्मक सेहत की कमी हो, वो विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो तथा अशिक्षित हो और उसके पास आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का भी कोई ज्ञान अथवा साधन न हो।'' भारत सरकार ने गरीबी की जो परिभाषा दी है उसके अंतर्गत ''वो आबादी जिसे अनाज, तेलों, चीनी तथा अन्य खाद्य पदार्थों से उपयुक्त ऊर्जा नहीं मिल रही हो, जितनी उसकी सेहत के लिए जरूरी है तथा यदि वो आबादी आधिकारिक रूप से बनाई गई गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर रही हो तो उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाता है।''

गरीबी रेखा के तहत आने वाले गरीबों के लिए सरकार अनिवार्य उत्पादों के मूल्य भी निर्धारित करती है और उस पर होने वाले व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारें 80 तथा 20 प्रतिशत के हिसाब से बांट लेती हैं। एक मापक के तौर पर गांवों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी इलाकों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति को समुचित माना गया है। इसी तरह भारत के योजना आयोग ने इन कैलोरी को रुपए में बदलते हुए इन्हें गांवों में प्रतिदिन 49.09 रुपए प्रति व्यक्ति तथा शहरों में 56.64 रुपए प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति जरूरत माना है। 2001 की जनगणना में पाया गया कि देश की एक–तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है। 2011 की जनगणना में संपत्तिविहीन आबादी की गणना जिलास्तर पर की गई और पाया गया कि देश की कुल आबादी के 17.80 प्रतिशत के पास कोई संपत्ति नहीं है।

राज्यस्तर पर महिला साक्षरता की दर केरल के पश्चिमी तटीय इलाकों में, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में, सबसे ज्यादा रिकार्ड की गई। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर में भी महिला साक्षरता की उच्च दर पाई गई। उत्तरी राज्यों में

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में स्त्री साक्षरता दर अच्छी थी। दूसरी ओर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और बिहार में महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम दर्ज की गई (65.46 प्रतिशत)। बिहार और राजस्थान में तो महिलाओं में साक्षरता दर पचास प्रतिशत से भी कम रही।

केरल के पथनामथिट्टा जिले में सर्वाधिक महिलाएं शिक्षित हैं (92 प्रतिशत) जबकि उड़ीसा के जगतसिंहपुरा जिले में सबसे कम महिलाएं (12 प्रतिशत) शिक्षित हैं। जिलावार किए गए अध्ययन में पाया गया कि देश के दो–तिहाई जिलों में महिला साक्षरता की दर 50 प्रतिशत से अधिक है। इनमें से ज्यादातर जिले तटीय इलाकों के, पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर इलाकों के हैं। तटीय इलाकों के इन जिलों को देश में महिला शिक्षा की शुरुआत के लिए जाना जाता है।

उत्तरी राज्यों के जो क्षेत्र महिला साक्षरता के मामले में आगे हैं उनमें वैसे जिले शामिल हैं जहां या तो फौज में शामिल होने वालों की संख्या ज्यादा है या फिर किसानों की। 60' के दशक में हुई हरित क्रांति ने इन क्षेत्रों में लोगों को औरतों की शिक्षा के बारे में जागरूक कर दिया था। देश में औरतों की शिक्षा की दर उन राज्यों में भी अधिक है जहां ईसाइयों की आबादी अधिक है, जैसे कि मिजोरम, मेघालय और नगालैंड। अरुणाचल और असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी जगह महिला साक्षरता की दर पचास प्रतिशत से अधिक है।

States	Male	Literacy Female	Gap (M-F)	Asset less Population
Kerala	96.02	91.98	4.04	7.1
Mizoram	93.72	89.40	4.32	20.4
Tripura	92.18	83.15	9.03	14.1
Goa	92.81	81.84	10.97	5.1
Delhi	91.03	80.93	10.10	9.9
Nagaland	83.29	76.69	6.60	18.9
Himachal Pradesh	90.83	76.60	14.23	8.1
Sikkim	87.29	76.43	10.86	8.2
Maharashtra	89.82	75.48	14.34	17.4
Tamil Nadu	86.81	73.86	12.95	11.3
Meghalaya	77.17	73.78	3.39	11.9
Manipur	86.49	73.17	13.32	36.9
Punjab	81.48	71.34	10.14	8.3
West Bengal	82.67	71.16	11.51	20.0
Gujarat	87.23	70.73	16.50	16.6
Uttarakhand	88.33	70.70	17.63	11.3
Karnataka	82.85	68.13	14.72	20.9
Assam	78.81	67.27	11.54	31.9
Haryana	85.38	66.77	18.61	11.2
Odisha	82.40	64.36	18.04	32.6
Chhattisgarh	81.45	60.59	20.86	39.9
Madhya Pradesh	80.53	60.02	20.51	31.7
Andhra Pradesh	75.56	59.74	15.82	9.2
Arunachal Pradesh	73.69	59.57	14.12	34.7
Uttar Pradesh	79.24	59.26	19.98	29.4
Jammu & Kashmir	78.26	58.01	20.25	10.4
Jharkhand	78.45	56.21	22.24	36.9
Bihar	73.39	53.33	20.06	33.7
Rajasthan	80.51	52.66	27.85	14.7
INDIA	**82.14**	**65.46**	**16.68**	**17.8**

Source: Census of India, 2011

शिक्षा और महिला सशक्तीकरणः जेंडर दृष्टिकोण

शिक्षा, व्यक्ति एवं समाज के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाती है, सामाजिक समन्वय स्थापित करती है, आर्थिक स्वावलंबन के कौशल विकसित करने में सहायक है तथा व्यक्ति में विशिष्ट से लेकर सार्वभौमिक मूल्यों को निरोपित कर घर से लेकर समाज तक एक सेतु का काम करती है।

''जब अर्थव्यवस्था में महिलायें सहभागी होती हैं तो सब लाभान्वित होते हैं। जब वो शांति व्यवस्था कायम करने या बनाये रखने में सहभागी होती हैं तो सब अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब महिलायें अपने देश की राजनीति में भागीदार बनती हैं, तो कई सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं।'' —हिलेरी क्लिंटन

रश्मि झा

(झारखंड तथा बिहार में महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के अधिकारों एवं जेन्डर संवेदीकरण से जुड़े मुद्दों पर सरकार एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं)

अमेरिका का समाज आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से तथाकथित विकसित समाज माना जाता है और वर्तमान में भारतीय युवाओं के सपनों का देश हो गया है। तथापि यह देश हिलेरी क्लिंटन को केवल इसलिये नहीं चुनता है कि वह एक महिला है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे विशेष वर्ग होते हैं, जो अपने संवैधानिक एवं बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं क्योंकि उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। अगर हम इन अवयवों को सूचीबद्ध करें तो महिलाओं का नाम शीर्ष पर आता है। महिलाओं को गर्भ से कब्र तक सामाजिक रूप से निर्मित लिंग पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ने के लिए उस प्रणाली का प्रतिरोध करना पड़ता है, जिसके लिए आत्मविश्वास की नितांत आवश्यकता होती है। यह आत्मविश्वास महिलाओं में तब आता है जब वो अपने आसपास के परिवेश का वैज्ञानिक विश्लेषण अपने हितों एवं अहितों के सन्दर्भ में करने लगती हैं। मूलतः महिला सशक्तिकरण की अवधारणा यही है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिये एक अकादमिक हथियार है। महिलाओं को दोयम दर्जे को निकालकर मुख्यधारा में शामिल करने का यह प्रयास केवल भारतीय परिदृश्य तक ही सीमित न रहकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमेशा से ही विमर्श का विषय रहा है। भारत ने महिलाओं एवं बच्चों के हितों से संबंधित अनेक अन्तरराष्ट्रीय संधियों में हस्ताक्षर किया है, साथ ही जेन्डर समानता को सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध भी है।

शिक्षा अर्थात एड्युकेशन का शाब्दिक अर्थ है—ब्रिंगिग अप यानि लालन पोषण। प्रारंभिक दौर में समाजशास्त्र के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार समाज ने यह तय किया कि बच्चों के समाजीकरण के लिये उन्हें विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से निरंतर जानकारी देना आवश्यक था। पशुओं में समाजीकरण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनकी जैववैज्ञानिक संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि जन्म के कुछ समय बाद ही वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। परन्तु मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। समाजशास्त्री इमाईल दुर्खिम के अनुसार पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक विकास, मनोवृति निर्मित करने इत्यादि पर शिक्षित किया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि आनेवाली पीढ़ी बेहतर जीवन जीने के साथ—साथ सभ्य नागरिक भी बन सकें। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों से ही बेटों और बेटियों के लिये अलग—अलग भूमिकायें तय कर दी जाती हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता के तहत आनेवाली पीढ़ी पर किया जानेवाला यह निवेश बेटों तक सीमित रह जाता है।

विशेषकर अभिवंचितों में शिक्षा के निम्न स्तर को समझने के लिये शिक्षा से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, जिसके आधार पर नीति—निर्धारकों द्वारा प्राथमिकतायें निर्धारित की जाती हैं तथा एक विशेष वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। शिक्षा से संबंधित मार्क्सवादी विचारधारा इस बात पर बल देती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बुर्जुवा वर्ग को लाभ पहुँचाना तथा वर्ग असमानता को सुदृढ़ करना रहा है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा के कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार शिक्षा, व्यक्ति एवं समाज के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाता है, सामाजिक समन्वय स्थापित करता है, आर्थिक स्वावलंबन के कौशल विकसित करने में सहायक है तथा व्यक्ति में विशिष्ट से लेकर सार्वभौमिक मूल्यों को निरोपित कर घर से लेकर समाज तक एक सेतु का काम करता है। इन सार्वभौमिक मूल्यों को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निरोपित किया जाता है। 1950 के दशक से नारीवादियों ने पारिवारिक स्तर पर पारंपरिक रूप से निर्मित जेन्डर की भूमिकाओं की आलोचना यह तर्क देते हुए की है कि स्त्रियों के लिये दो भूमिकायें निर्धारित की गई हैं, पहला परिवार के भीतर सहायक की भूमिका निभाने के उद्देश्य से लड़कियों को सामाजिक बनाना और दूसरा गृहिणी की भूमिका को महिलाओं को एकमात्र स्वीकार्य भूमिका के रूप में स्थापित करना ताकि वो अपने परिवार को बेहतर ढंग से चला सकें। इसी सोच के आधार पर शिक्षा का जेन्डरीकरण किया गया तथा टीचर, नर्स अथवा रिसेप्सनिस्ट जैसे रोजगारों को महिलाओं के लिये सही माना जाता रहा, जो कहीं न कहीं उनकी घरेलू भूमिकाओं का ही विस्तार था। नारीवादियों ने यह माना कि परिवार वह स्थल है जहां पितृसत्तात्मक मूल्य पनपते हैं, जो अंततः समाज में भी प्रभावी हो जाते हैं। प्रायः सभी नारीवादी महिलायें मुख्य

रूप से स्त्री–शिक्षा पर बल देने तथा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में व्याप्त जेन्डर असमानता को दूर करने के लिये संघर्षशील रही हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत में स्त्री शिक्षा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साक्ष्य बताते हैं कि वैदिककाल में स्त्रियों में शिक्षा की स्थिति काफी अच्छी थी, परन्तु समय के साथ–साथ स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में अनेक परिवर्तन हुए जिससे उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती रही। ब्रिटिशकाल में इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। इस दौरान राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के नेतृत्व में कई सामाजिक–धार्मिक आन्दोलन हुए जिसके मूल में शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना था। समय के साथ–साथ यह प्रयास महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार तथा बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर के नेतृत्व में और विस्तृत तथा तीव्र हो गया। सावित्री बाई फुले, बेगमरोखैया शेखावत हुसैन एवं कादम्बिनी गांगुली जैसी महिलाओं ने भी स्त्री शिक्षा के लिये सराहनीय प्रयास किये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहि तकरने के लिये कई प्रावधान किये। परिणामस्वरुप स्त्री शिक्षा दर जो 1951 में 8. 86 प्रतिशत था वह 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गया (स्रोतः जनगणना)।

वर्तमान में शिक्षा के जनतंत्रीकरण पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किये गये हाल ही के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2016–17 के अनुसार, उच्च शिक्षा में सकल मूल्यांकन अनुपात (ग्रास इनरॉलमेन्ट रेशियो) में 2015–16 की अपेक्षा 2016–17 में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसंधान के अनुसार वर्तमान में इसका राष्ट्रीय अनुपात 25.2 प्रतिशत है तथा देश के 6 राज्यों में इसका अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, परन्तु 8 राज्यों में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, जो चिंताजनक है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में यह अनुपात सबसे कम है, अर्थात राज्य के 18–23 वर्ष के मात्र 14.4 प्रतिशत ही युवा उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि मंडल कमीशन लागू होने के पश्चात देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ी जाति के छात्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। परन्तु बिहार राज्य में उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों में इस आंकड़े का प्रतिशत अभी भी सबसे कम अर्थात 14.4 प्रतिशत है। मंडल कमीशन के पश्चात बिहार में विशेष रूप से पिछड़ी जाति की महिलाओं ने उच्च शिक्षा में प्रवेश करना प्रारंभ किया परन्तु राजनैतिक प्रतिबद्धता की कमी के करण उच्च शिक्षा की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। परिणामस्वरुप विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र देने के संस्थान मात्र के रुप में होकर सीमित होकर रह गये तथा दूरस्थ शिक्षा के केन्द्र के रुप में विकसित हो गये।

उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थान केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं बल्कि बचपन से सीखे हुए समाजीकरण के मूल्यों, प्रतिमानों को भी चुनौती देते हैं, जहां जाति, धर्म, जेन्डर, प्रजातांत्रिक मूल्यों जैसे आयामों पर अनौपचारिक रुप से चर्चा होती है। इसके मूल में जाति एवं धर्म आधारित राजनीति के विरुद्ध एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होता है जो परोक्ष रुप से पुरुषवादी सत्ता का विरोध करता है। इन ऑकड़ों का अगर जेन्डर विश्लेषण किया जाये तो यह पता चलता है कि शिक्षा में जेन्डर पैरिटी पाटने की दिशा सफलता मिल रही है, परन्तु इसकी गति धीमी है। 2017 की असर रिपोर्ट के अनुसार, 'शिक्षा का अधिकार' कानून के कार्यान्वयन के 8 वर्षों के बावजूद लड़के एवं लड़कियों में 14 वर्ष तक विद्यालय छीजन दर में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है। उम्र में वृद्धि होने के साथ–साथ यह गैप बढ़ कर लड़कों के लिये 71.6 प्रतिशत तथा लड़कियों में 67.4 प्रतिशत पाया गया। साथ ही मोबाइल एवं तकनीकी के इस्तेमाल में भी व्यापक जेन्डर गैप देखा गया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किये गये ग्लोबल जेन्डर गैप रिपोर्ट के अनुसार, 144 देशों की सूची में भारत 108वें स्थान पर है। इस सूची में शामिल इन देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं राजनैतिक हस्तक्षेपों में जेन्डर समानता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत 112वें स्थान पर शामिल है।

स्त्री शिक्षा की दिशा में नये आयामों को जोड़कर देखा जाना आवश्यक है। जिसमें यह महत्वपूर्ण है कि उन पर निवेश को केवल जैवकीय अथवा जेन्डर जैसी सामाजिक भूमिकाओं के आलोक में नहीं देखा जाना चाहिये, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये कि स्त्री का स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्वयं उसकी बेहतरी के लिये आवश्यक है ताकि उनके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास हो सके और वो अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। वैदिक श्लोक में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि शिक्षा का अर्थ बंधनों से मुक्ति का है, जो कि निम्न श्लोक में स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा है–

तत्कर्म यन्नबन्धाय साविद्या या विमुक्तये।
आयासाया परंकर्म विद्यऽन्याशिल्प नैपुणम्।।

अर्थात जो शिक्षा मनुष्य को बंधन या आसक्ति से न जकड़े वही उचित कर्म है अथवा आदर्श विद्या है। शेष शैक्षणिक क्रियायें मनुष्य को शिल्प निपुणता प्रदान करती हैं, न कि बंधनों से मुक्ति देती हैं। मात्र कौशल विकास केन्द्रित शिक्षा इस तरीके का देश बनाने में सहयोग करता है जो स्त्री को वस्तु और बाजार को मुक्ति का मार्ग बताता है, जहॉ भावनाओं की प्रस्तुति खरीदे हुए सामान के माध्यम से है न कि मानवीय संबंधों पर आधारित है। ऐसा समाज हिलेरी क्लिंटन की उस अपील को नहीं मानता है जो समाज के प्रत्येक आयामों पर महिलाओं की भागीदारी पर बल देता है।

विचार मंच

उषा किरण खान

''स्त्रियों के सम्मान के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास अपूर्ण है।'' ये कहना है ख्यात साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान का। वे इस बात को मानती हैं कि औरतें संस्कृति की रक्षक होती हैं, उनकी वाहक होती हैं लेकिन उन्हीं का सम्मान हमारा समाज नहीं कर पाता है। वे कहती हैं कि महिलाओं को शिक्षा देने की प्रवृत्ति पहले भी नहीं रही लेकिन तब इतनी क्रूरता नहीं थी। आज जिलों में, गांवों में स्कूल खुल रहे हैं, लड़कियों के नामांकन के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और आंकड़ों में तरक्की देखी भी जा रही है फिर भी लड़कियों के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं। शिक्षित घरों में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं जिसका नतीजा है कि लिंग अनुपात कम होता जा रहा है।

उषा जी बताती हैं कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब बिहार में महिला लेखिकाएं बहुत कम संख्या में थीं। पढ़ना–लिखना पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, ऐसे में साहित्य लेखन करने वाली स्त्रियों को घुसपैठिया कहा जाता था। लेकिन उन्हें अपने पिता और पति का पूरा साथ मिला जिसकी वजह से वे आगे बढ़ती रहीं। हालांकि ऐसा साथ हर स्त्री को नहीं मिल पाता। यही वजह रही कि पुराने जमाने से ही स्त्रियां अपनी कहानियों को दीवारों पर चित्र उकेर कर या फिर लोकगीतों के माध्यम से दर्शाती रही हैं। वे लिखना नहीं जानती थीं लेकिन कला के जरिये अपनी भावनाओं को जाहिर करना उन्हें खूब आता था। इस रूप में अपनी संस्कृति को वे आगे की पीढियों तक पहुंचाती रही हैं। उषा जी कहती हैं कि अब तक कला के जितने भी रूप हमारे सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर का संबंध समाज की उच्च जातियों से रहा है। अब भी दलित समाज की ऐसी कई कलाएं हैं जो सामने नहीं आ सकी हैं और उनमें स्त्रियों ने अपनी स्थिति को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। आज साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है लेकिन पढ़ने की प्रवृत्ति घटती जा रही है। कहानियों की किताबों और उपन्यास को खरीदकर पढ़ना बीते समय की बात हो गई है। शिक्षित लोग बढ़े हैं लेकिन उनकी दृष्टि में बदलाव नहीं हुआ है। लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं हो पा रहा है।

लेखिका का कहना है कि केवल योजना बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि उन्हें ठीक ढंग से लागू करना होगा। स्कूल स्तर से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना होगा। हर क्षेत्र और मोहल्ले में जाकर माता–पिता और वयस्कों को स्त्री शिक्षा के लाभ के बारे में बताना होगा और उन्हें बेटा और बेटी में फर्क नहीं करने के लिए प्रेरित करना होगा। लड़कियों का विवाह पढ़ाई पूरी करने के बाद ही हो ये सुनिश्चित करना होगा तभी हम एक स्वस्थ और सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं।

प्रो. शेफाली रॉय

पटना वीमेंस कॉलेज की राजनीतिशास्त्र संकाय की विभागाध्यक्ष प्रो. शेफाली रॉय लड़कियों की शिक्षा और उनके संपूर्ण विकास को समय की सबसे बड़ी जरूरत मानती हैं। प्रो. रॉय आज शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट से चिंतित हैं और उनका मानना है कि ऐसा उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार के कारण हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के कारण इंसान की सोच का भी व्यावसायीकरण हो गया है। नैतिक शिक्षा का पतन हो रहा है और हर प्रयास पैसा कमाने की भावना के इर्द–गिर्द घूमने लगा है। ऐसे में जरूरत है कि शिक्षा के प्रारूप पर फिर से काम किया जाए।

प्रो. रॉय कहती हैं कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और इसमें नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। छात्राओं तक सही सूचना सही समय पर पहुंच सके इसके लिए उपयुक्त संख्या में शिक्षकों का होना भी उतना ही जरूरी है। जबकि विडंबना ये है कि राज्य के लगभग सभी कॉलेजों में शिक्षकों की घोर कमी है। ज्यादातर विभाग केवल एक शिक्षक–शिक्षिका के भरोसे पर चल रहे हैं। यही हाल स्कूलों का भी है। वहां इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षक–शिक्षिकाओं की बहाली तो की जा रही है लेकिन उनमें भी योग्यता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बेतरतीब बहाली का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जिसकी वजह से ज्ञान का संकट उत्पन्न हो रहा है।

सही शिक्षा, ज्ञान और सूचना तक पहुंच नहीं हो पाने के कारण स्त्रियां अपने अधिकारों को भी आधा–अधूरा ही जान पाती हैं। यही कारण है कि हर अपराध के खिलाफ कानून मौजूद होने के बाद भी औरतें या तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल करने लगती हैं। प्रो. रॉय मानती हैं कि सरकारी स्तर पर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका असर तो हो रहा है लेकिन उसकी गति धीमी है। महिला कॉलेजों में निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। पटना विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है और लड़कियों के लिए शौचालय तथा विश्रामगृहों का निर्माण और मरम्मत कराया जा रहा है। प्रो. रॉय स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि हमारे राज्य में न तो संसाधन और न ही धन की कमी है, बस लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है।

उनका कहना है कि समय के साथ–साथ लड़कियों की रुचि में भी बदलाव आया है। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित पटना वीमेंस कॉलेज में भी छात्राएं व्यावसायिक शिक्षा को सबसे अधिक तरजीह दे रही हैं जबकि कॉमर्स और साइंस के बाद अंतिम स्थान पर कला संकाय का स्थान आता है। हालांकि अभी भी 60 प्रतिशत लड़कियों की पढ़ाई का मकसद अच्छे घर में शादी होना ही है।

डॉ. रश्मि प्रसाद

''जैविक रूप से देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से अधिक मजबूत होती हैं, फिर भी समाज उन्हें कमजोर का दर्जा क्यों देता है यह समझ से परे है।'' ऐसा कहना है पीएमसीएच में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रश्मि प्रसाद का। डॉ. प्रसाद कहती हैं कि बच्चे का सबसे पहला संबंध अपनी मां से होता है। मां ही अपने संस्कार बच्चे में प्रेषित करती है। अगर वो पढ़ी–लिखी हो तो निश्चित रूप से बच्चे में शिक्षा के बीज अंकुरित होंगे। एक पढ़ी–लिखी महिला कई पीढियों की रक्षा कर सकती है, उनका जीवन संवार सकती है। यदि औरत शिक्षित हो तो उसका आत्मबल बढ़ता है और वह निर्णय लेने की स्थिति में आ पाती है। गर्भधारण करने से लेकर शिशु को जन्म देने तक के निर्णय में वो अपनी रजामंदी या प्रतिरोध जता सकती है।

भ्रूण हत्या को समाज का कोढ़ बताते हुए डॉ. प्रसाद कहती हैं कि स्त्री के गर्भ में पल रही लड़की लड़के की तुलना में भावनात्मक तौर पर कहीं अधिक मजबूत होती है। अगर हम गर्भपात के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि नर शिशु का गर्भपात मादा शिशु की तुलना में ज्यादा होता है। जन्म के बाद विकास के क्रम में भी हम लड़कियों को लड़कों के बनिस्पत अधिक सहनशील पाते हैं। ये समाज ही है जो लड़कियों को कमजोर और अक्षम का दर्जा देता है।

अपने अनुभवों के आधार पर डॉ. रश्मि प्रसाद कहती हैं कि डॉक्टरी जैसे चुनौतीपूर्ण पेशे में भी लड़कियां लड़कों से अधिक सक्षम हैं और अपनी पढ़ाई तथा काम अधिक समर्पण एवं दक्षता से करती हैं। जितने भी मौके उन्हें मिल रहे हैं उसके सहारे वे सबसे आगे निकलकर दिखा रही हैं। मेडिकल की परीक्षाओं तथा कक्षाओं में लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं। बेटियों को शिक्षित बनाने तथा उन्हें विकास का साझीदार बनाने के लिए जरूरत इस बात की है उनपर भरोसा किया जाए और सरकार की योजनाओं के साथ ही समाज के स्तर पर भी जागरूकता फैलाई जाए।

बंधन कौशल विकास केन्द्र

शिक्षा किसी भी देश के विकास की कुंजी है। ऐसे में सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी केवल सरकार की नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके लिए संयुक्त प्रयास की जरूरत है। ऐसा ही एक प्रयास बंधन बैंक की ओर से किया जा रहा है। बंधन कौशल विकास केन्द्र के जरिये युवा लड़के–लड़कियों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना को आकार दिया जा रहा है। बिहार सहित 4 राज्यों में चल रहे ऐसे केन्द्रों में बड़ी संख्या में लड़कियों को भी शिक्षण–प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मकसद मध्यम आय वर्ग के तथा सुदूर क्षेत्रों के युवाओं में कौशल का विकास कर उन्हें रोजगार प्रदान करना है।

केन्द्र के प्रभारी आदित्य कुमार (दाएं) तथा प्रशिक्षक अभिषेक कुमार।

पटना में 2014 से चल रहे केन्द्र के प्रभारी आदित्य कुमार बताते हैं कि यहां युवा लड़के–लड़कियों के लिए रिटेल मार्केटिंग, हॉस्पिटेलिटी, कुशल युवा कार्यक्रम तथा मशीन रिपेयरिंग के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाती है। यहां पटना और आस–पास के क्षेत्रों से लड़के–लड़कियां आते हैं। हालांकि आदित्य ये मानते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बहुत कम है और जो लड़कियां नामांकन लेती भी हैं उनमें से 4–5 लड़कियां बाद के चरणों में छोड़ देती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण परिवार का दवाब है जो उन्हें प्रशिक्षण छोड़ कर शादी करने के लिए विवश कर देता है। आज भी माता–पिता बच्चियों को उतना ही पढ़ाना चाहते हैं जितना उनकी शादी के लिए जरूरी हो। इसके अलावा एक बड़ी समस्या आती है यूनीफॉर्म की। आजकल ज्यादातर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिला और पुरुष दोनों ही कर्मचारियों के लिए खास यूनीफॉर्म होते हैं, विशेषकर शॉपिंग मॉलों में। लड़कियों और खासकर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के अभिभावक अपनी बच्चियों को इन पोशाकों को पहनने की इजाजत नहीं देते।

आदित्य कहते हैं कि उनका केन्द्र युवाओं को शिक्षण–प्रशिक्षण तथा रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए इस मुद्दे पर वे लड़कियों के माता–पिता से बात करते हैं और उन्हें बच्चियों को भेजने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। लड़कियों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं का ध्यान रखते हुए वे उनके लिए अलग बैच चलाते हैं, खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग बैच चलाया जाता है जिसमें अभी करीब 15 लड़कियां मौजूद हैं। आदित्य कहते हैं कि बंधन बैंक अपने सामाजिक सरोकारों को बखूबी निभाता रहा है और इसी के तहत वह केवल लड़कियों के नाम से लोन भी देता है। इसके अलावा यह बैंक उन औरतों को सहयोग देता है जिनकी आय का कोई साधन नहीं है।

डॉ. पूर्णिमा चौधरी

पटना के पिछड़े इलाके काजीपुर में चल रहे अरविन्द महिला कॉलेज को लेकर यहां के निवासियों में बड़ा सम्मान है। इस कॉलेज ने न केवल इस क्षेत्र की बल्कि दूर–दराज की लड़कियों को शिक्षित कर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर उन्हें राज्य के दूसरे प्रभावशाली कॉलेजों की लड़कियों के समकक्ष बना दिया है। इस काम को पूरी लगन और उत्साह के साथ पूरा कर रही हैं कॉलेज की प्राचार्या डॉ. पूर्णिमा चौधरी।

डॉ. चौधरी बताती हैं कि कॉलेज की ओर से काजीपुर की गरीब बस्ती को गोद लिया गया है और वहां लोगों के लिए किताबें, कंबल, कपड़े और भोजन की व्यवस्था कॉलेज की ओर से कराई जाती है। गरीब और वंचित सुमदाय की लड़कियों को दसवीं के बाद भी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे कहती हैं कि ऐसी लड़कियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती लेकिन आत्मबल के अभाव के कारण वे विकसित समाज की लड़कियों के सामने हार जाती हैं।

अरविन्द महिला कॉलेज लड़कियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और इसके लिए उन्हें कौशल आधारित शिक्षा दी जा रही है। मार्शल आर्ट और योगा के अलावा उन्हें पढ़ाई के दौरान ही कमाई करने के बारे में भी बताया जाता है।

राज्य में स्त्री शिक्षा की स्थिति पर डॉ. चौधरी कहती हैं कि हालात में सुधार आया है लेकिन बदलाव अब भी बहुत दूर है। कॉलेजों में नामांकन के लिए तो भीड़ लगी रहती है लेकिन कक्षा में आने वाली छात्राओं की संख्या बहुत कम होती है। ड्रॉप आउट की दर बहुत ज्यादा है। इसका कारण अब भी वही सामाजिक सोच है जो लड़कियों को शिक्षित करने से रोकती है। उनका कहना है कि जागरूकता कार्यक्रम भी तभी सफल हो सकते हैं जब लड़के और लड़कियों को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। इसके लिए स्कूल के स्तर पर ही काम करने की जरूरत है। बच्चों को स्कूल से ही बताया जाए कि लड़के और लड़कियों, दोनों के अधिकार समान हैं और दोनों को ही शिक्षित होने का हक है। साथ ही पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है।

डॉ. चौधरी का मानना है कि लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं है क्योंकि इससे उनके या समाज के लिए शिक्षा की कीमत कम हो जाती है। कक्षाओं में हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक और छात्राओं दोनों के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली होनी चाहिए। कॉलेजों में शिक्षकों तथा कोष की कमी का व्यापक प्रभाव पढ़ाई तथा अन्य सुविधाओं पर पड़ता है। वे कहती हैं कि जब तक छात्राओं का संपूर्ण विकास नहीं होगा, तब तक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

कुमार जितेन्द्र ज्योति

कौशल विकास मिशन देश में लड़कियों की शिक्षा की ओर एक बड़ा कदम है। राज्य और केन्द्र सरकार दोनों ही की तरफ से चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवा लड़के–लड़कियों के लिए ऐसे विषयों के शिक्षण–प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिनसे वे रोजगार पाने की ओर उन्मुख हो सकें। भारतीय समाज की पारंपरिक बाध्यताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह योजना लड़कियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रहे वरिष्ठ पत्रकार कुमार जितेन्द्र ज्योति बताते हैं कि बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत राज्य में 1600 से अधिक केन्द्र खोले गए हैं जिनमें 100 से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जबकि केन्द्र सरकार की ओर से करीब 500 केन्द्र खोले गए हैं। वे कहते हैं कि बिहार सरकार के केन्द्रों में दो साल के दौरान करीब 4.5 लाख विद्यार्थियों ने नामांकन कराया जिनमें से 1.75 लाख लड़कियां हैं। यह संख्या उत्साह बढ़ाने वाली है। केवल लड़कियों के लिए बनाए गए कुछ पाठ्यक्रमों के अलावा उनका नामांकन उन विषयों में भी हुआ जो लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए बनाए गए थे। जितेन्द्र बताते हैं कि इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा सुदूर इलाकों में रहने वाली लड़कियों को अधिक मिला क्योंकि केन्द्र उनके गांव में बनाए गए जहां तक उनकी पहुंच आसान थी। इसके अलावे अल्पावधि के पाठ्यक्रमों के कारण उन पर घर और समाज का बहुत दबाव भी नहीं पड़ा और वे अपनी परंपरागत कला में दक्ष भी हो गईं। लड़कियों ने घर बैठे ही कशीदाकारी और सिलाई जैसे काम करना शुरू कर दिया जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि उन्हें कुछ पैसों की आमदनी भी होने लगी।

जहां तक इन केन्द्रों के ठीक से नहीं चलने की शिकायतों का सवाल है तो जितेन्द्र का कहना है कि 100 पाठ्यक्रमों में से केवल 20 का शिक्षण–प्रशिक्षण ही बेहतर ढंग से चल रहा है। इसके पीछे संसाधनों की कमी एक बड़ा कारण है क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई के लिए बड़ी जगह, कंप्यूटर, शौचालय तथा प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है जिन्हें जुटाना आज भी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा 1600 केन्द्रों में से 1200 में बहाली की सुविधा नहीं है। हालांकि इन केन्द्रों से प्रशिक्षित विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से लगाए जाने वाले नियोजन मेला में लाभ मिलता है। जितेन्द्र कहते हैं कि सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सरकारें अपना काम कर रही हैं लेकिन जिस देश में वोट डालने के लिए भी लोगों को जबर्दस्ती घर से निकालना पड़े, वहां निःशुल्क प्रशिक्षण पाने के लिए भी युवाओं को केन्द्र तक लाना किसी चुनौती से कम नहीं।

माँ! मैं भी पढ़ने जाऊंगी
क्यों अन्न उगे है मिट्टी में,
क्यों स्वाद है चोखे लिट्टी में
क्या भइया लिखता चिट्ठी में
सब तुमको बतलाऊंगी
माँ! मैं भी पढ़ने जाऊंगी
बापू की दवा का पर्चा हो
फसल में कितना खर्चा हो
दुनिया में किसकी चर्चा हो
सब तुमको समझाऊंगी
माँ! मैं भी पढ़ने जाऊंगी
क्यों औरत पर्दा करती है
क्यों दहेज में जलती है
क्यों सारे जुल्म वो सहती है
यह सब बन्द कराऊंगी
माँ! मैं भी पढ़ने जाऊंगी
हम ग़रीब हैं पर क्यों हैं
फसल हमारी उनकी क्यों है
झोपड़ भी यह गिरवी क्यों है
इस चक्कर को सुलझाऊंगी
माँ! मैं भी पढ़ने जाऊंगी
महिला समाख्या

मंजरी

स्त्री के मन की

Sulabh International Social Service Organisation

THE OFFSETTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED
design, pre-press and color offset printing

bansal TUTORIALS
FOR CLASS : VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII, IIT-JEE (MAINS & ADVANCED) & MEDICAL ASPIRANTS

takshila
connect to the universe

COMFED
PRIDE OF BIHAR
Sudha

We Care
I S
INTERNATIONAL SCHOOL

GYAN GANGA
ज्ञानम् भारः क्रियां विना

आप हमें ई–मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई–मेल भी कर सकते हैं। इस विषय में विशेष जानकारी equityasia@gmail.com पर ली जा सकती है। प्रकाशक की अनुमति के बिना पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री का अन्यत्र इस्तेमाल करना कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा।

© : इक्विटी फाउंडेशन